



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 15, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2013

क्र. ई-5-659-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री एस. के. वेद, आयएएस, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 30 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-659-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री एस. के. वेद, आयएएस., आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 27 से 30 नवम्बर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत

किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 1 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एस. के. वेद की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजीव रंजन, भाप्रसे विकअ-सह-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. वेद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(4) श्री एस. के. वेद द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजीव रंजन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. वेद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. वेद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-720-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री गुलशन बामरा, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश एवं सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 6 से 14 नवम्बर 2013 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश एवं सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2013

क्र. ई.-5-477-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 22 एवं 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री राधेश्याम जुलानिया की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रजनीश वैश्य, भाप्रसे विकअ-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास (अति. प्रभार) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमि. (एनबीपीसीएल) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-844-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार सिंह, आयएएस, कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 16 से 20

दिसम्बर 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अशोक कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जेड. यू. शेख, राप्रसे, अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जेड. यू. शेख कलेक्टर, जिला कटनी के प्रभार के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-845-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री के. सी. जैन, आयएएस, अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को दिनांक 9 से 31 दिसम्बर 2013 तक तेईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-850-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री बी. एम. शर्मा, आयएएस., कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 11 से 18 दिसम्बर 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक अवकाश पर प्रस्थान नहीं किया जाये।

(2) श्री बी. एम. शर्मा, की अवकाश अवधि में श्री एम. पी. पटेल, राप्रसे, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी

रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला उज्जैन का प्रभार जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. एम. शर्मा, द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. पी. पटेल, कलेक्टर, जिला उज्जैन के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्तोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव।

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2013

क्र. एफ 1(ए) 196-1991-ब-2-दो.—श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को पुलिस मुख्यालय, के आदेश क्र. 123/13, दिनांक 5 नवम्बर 2013 द्वारा स्वीकृत किए गए तीन दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं दो दिवस के ऐच्छिक अवकाश के साथ पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश के लाभ के साथ कुल दिनांक 14 से 21 नवम्बर 2013 तक आठ दिवस की अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा की पात्रता के तहत लक्ष्यद्वीप जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है :—

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. श्रीमती अनुराधा शंकर | — स्वयं |
| 2. अदिती सिंह | — पुत्री |
| 3. श्री जनमेजय सिंह | — पुत्र |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे., को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. एफ 1(ए) 53-2003-ब-2-दो.—(1) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज, रीवा को दिनांक 16 से 28 दिसम्बर 2013 तक तैरह दिवस अर्जित अवकाश, 14,15 एवं 29 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आकाश जिंदल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा रेंज रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाश काल में श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 78-2001-ब-2-दो.—श्री एम. के. मुदगल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 2 से 20 दिसम्बर 2013 तक उनीस दिवस अर्जित अवकाश, 01,21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एम.के.मुदगल, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री महान भारत सागर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शिकायत/मानव अधिकार आयोग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम.के.मुदगल, भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शिकायत, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम.के.मुदगल, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एम.के.मुदगल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम.के.मुदगल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी
भोपाल, मध्यप्रदेश
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. 7982-2013-विप्र.—प्रदेश के सभी अधिकारी/कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षाएँ उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हों, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 6 जनवरी, 2014 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:—

स. क्र.	प्रश्न-पत्र का विषय	समय
(1)	(2)	(3)

सोमवार, दिनांक 6 जनवरी, 2014

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | प्रश्न-पत्र -प्रथम दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये। | प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक। |
| 2 | प्रश्न-पत्र -पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित) | —तदैव— |
| 3 | प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, (पुस्तकों सहित) | —तदैव— |
| 4 | प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) | —तदैव— |
| 5 | प्रश्न-पत्र पहला —सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये, | —तदैव— |
| 59 | प्रश्न-पत्र—विद्युत् संबंधी विधियों-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये। | —तदैव— |
| 6 | प्रश्न-पत्र दूसरा—प्रश्नपत्र दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना) दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये। | से शाम 5.00 बजे तक |
| 7 | प्रश्न-पत्र दूसरा— सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये। | —तदैव— |
| 8 | प्रश्न-पत्र —समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये। | —तदैव— |
| 60 | प्रश्न-पत्र—भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये। | —तदैव— |

(1)

(2)

(3)

मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी, 2014

- 9 प्रश्न-पत्र पहला —प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये। प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक।
- 10 प्रश्न-पत्र पहला—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये। भाग-बी —तदैव—
- 11 प्रश्न-पत्र—पहला प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये। भाग-सी —तदैव—
- 12 प्रश्न-पत्र—उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 13 प्रश्न-पत्र—खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 14 प्रश्न-पत्र प्रथम—लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये —तदैव—
- 61 प्रश्न-पत्र—विद्युत् संस्थापनाएं—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 15 प्रश्न-पत्र—दूसरा प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये। दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5:00 बजे तक।
- 16 प्रश्न-पत्र—प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 17 प्रश्न-पत्र तीसरा— बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये। —तदैव—
- 18 प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 19 प्रश्न पत्र द्वितीय-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये। —तदैव—
- 62 प्रश्नपत्र-लेखा व स्थापना, ऊर्जा विभाग के लिये। —तदैव—

बुधवार, दिनांक 8 जनवरी, 2014

- 20 प्रश्न-पत्र—तीसरा—प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना— सामान्य प्रशासन राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये। प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक।
- 21 प्रश्न-पत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) वाणिज्यिकर विभाग के अधिकारियों के लिए। —तदैव—
- 22 प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये। —तदैव—
- 23 प्रश्न-पत्र-पहला—प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के बन क्षेत्रपालों के लिये। —तदैव—

(1)	(2)	(3)
24 प्रश्न-पत्र —“व्यवहारिक परीक्षा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये		प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक —तदैव—
63 प्रश्न पत्र स्वच गेयर तथा संरक्षण-उर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये		
25 प्रश्नपत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया -वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.		दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
26 प्रश्नपत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—
27 प्रश्नपत्र—“पुलिस शाखा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).		—तदैव—
28 प्रश्नपत्र-दूसरा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये		दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक
29 प्रश्न पत्र तीसरा-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.		—तदैव—
30 प्रश्नपत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—
31 प्रश्नपत्र-चौथा सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.		—तदैव—
32 प्रश्न पत्र समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए		—तदैव—
64 प्रश्नपत्र-विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंशूलेशन को-ऑर्डिनेशन व हैजार्ड्स एरिया) उर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.		—तदैव—

गुरुवार, दिनांक 09 जनवरी, 2014

33 प्रश्न-पत्र प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) जिलाध्यक्षों, उप-जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
34 प्रश्न-पत्र प्रथम—लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
35 प्रश्न-पत्र प्रथम—लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
36 प्रश्न-पत्र—“न्यायिक शाखा” गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये. (बिना पुस्तकों के)	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
37 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित)—उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक

(1)	(2)	(3)
38 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित)—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.		प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
39 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.		प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
40 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.		प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
41 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.		प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
66 प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.		प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक
42 प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) उप-जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.		दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक.
43 प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.		दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक.
44 प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.		दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक.
67 प्रश्न-पत्र द्वितीय—लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.		दोपहर 2: 00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक.
शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी, 2014		
45 प्रश्न-पत्र —लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.		प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
46 प्रश्न-पत्र प्रथम— लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.		प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
47 प्रश्न-पत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.		प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
48 प्रथम प्रश्न-पत्र—विधि तथा प्रक्रिया प्रथम (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.		प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
49 प्रश्न-पत्र द्वितीय—मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.		प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
50 प्रश्न-पत्र द्वितीय— लेखा (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.		प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.

(1)

(2)

(3)

65 प्रश्न-पत्र—पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
68 प्रश्न-पत्र तृतीय—महिला एवं बाल कल्याण—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से दोपहर 1: 00 बजे तक.
51 प्रश्न-पत्र —लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
52 प्रश्न-पत्र —लेखा प्रथम भाग-2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4: 00 बजे तक.
53 प्रश्न-पत्र—सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4: 00 बजे तक.
54 प्रश्न-पत्र तृतीय—प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
55 द्वितीय—प्रश्न-पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
56 द्वितीय—प्रश्न-पत्र—लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
57 प्रश्न-पत्र तृतीय—अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.
69 प्रश्न-पत्र चतुर्थ—पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2: 00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

सोमवार, दिनांक 13 जनवरी, 2013

58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10: 00 बजे से 12: 00 बजे.
---	----------------------------------

नोट :—

- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी। उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी।
- सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्प्रिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये। परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें।
- सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स.-जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है। ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी। परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रमाण-पत्रों को प्रशासन

अकादमी, आर. सी. बी. पी. नरोन्हा, म. प्र., भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15 दिसम्बर 2013 तक भेजेंगे.

4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदान की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है. एस.सी./एस.टी. दर्शकर कोस्टक में (प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.
6. परीक्षा के संचालन में यदि परीक्षार्थी द्वारा अनुचित प्रक्रिया अपनाई जाती है तो संभागायुक्त द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर अकादमी को सूचित किया जावेगा.

गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय कलेक्टर, जिला—सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्र. राजस्व-2013,

सिंगरौली, दिनांक 07 अक्टूबर 2013

करारनामा

डायरेक्टर, एम. पी. एएमआरएल (मर्की बर्का) कोल कम्पनी लिमिटेड, पर्यावास भवन दूसरा तल्ला ब्लाक नं. 1 (ए) जेल रोड अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)

प्रथम पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला—सिंगरौली

द्वितीय पक्ष

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 16-10/2013/सात/2-ए, भोपाल दिनांक 30-05-2013 के अनुसार एम. पी. ए. एम. आर.एल. (मर्की बर्का) कोल कम्पनी लिमिटेड, जिला-सिंगरौली में कोल आपूर्ति हेतु कैप्टिव कोल ब्लाक ग्राम पिंड़ा, तहसील सरई जिला-सिंगरौली की निजी भूमि रकवा 11.52 है. निजी भूमि अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1994 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 07-10-2013 को अनुबंध/करारनामा निष्पादित करते हैं.

1. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिणामित मूल्य रुपये 20269613.00 मात्र (रु. दो करोड़ दो लाख उन्हतर हजार छ: सौ तेरह मात्र) कंपनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है और परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य रुपये 6200000.00 मात्र (रु. बांसठ लाख) जमा की जा चुकी है. शेष राशि एवार्ड पारित करने के पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी.
2. कम्पनी द्वारा निम्नानुसार 10 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि रुपये 2646961.00 मात्र (रुपये छब्बीस लाख छियालीस हजार नौ सौ इक्सठ) बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है.
3. एम.पी.ए.एम.आर.एल. (मर्की बर्का) कोल कम्पनी लिमिटेड, द्वारा कोल ब्लाक से उत्खनित कोयला का उपयोग मध्यप्रदेश खनिज निगम के साथ हुए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट दिनांक 20-06-2009 में वर्णित नियमों के अनुसार होगा.
4. मध्यप्रदेश राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 12-3/08/सात/2-ए, दिनांक 12-08-2008 के निर्देशानुसार राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का परियोजना द्वारा पालन किया जायेगा.
5. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कम्पनी द्वारा देय होगा.
6. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

7. कम्पनी द्वारा माझनिंग प्लान प्रस्तुत करना पड़ेगा तथा माझनिंग लीज नियमानुसार प्राप्त करना होगा.
8. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
9. कंपनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कम्पनी में आदर्श पुनर्वास नीति वर्ष 2002 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिये वचनबद्ध होगी.
10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा परन्तु परियोजना निर्माण के लिये, ऋण प्राप्त करने हेतु कम्पनी को ऋण दाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बन्धक रखने की प्रतीता अनुमति के पश्चात होगी.
11. यदि कम्पनी को दी गई भूमि, भवन अथवा उसके किसी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
12. प्रदूषण नहीं किया जायेगा इस संबंध में सम्बंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल श्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
13. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियां सम्बंधित एवं कलेक्टर-सिंगरौली से प्राप्त करना होगा.
14. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है

तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा.

15. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
16. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
17. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु कलेक्टर, सिंगरौली के द्वारा स्वीकृत पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना के अनुसार किया जायेगा.
18. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जावेगा.
19. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा.

यह अनुबंध (करानामा) आज दिनांक 07-10-2013 एम. पी. ए. एम. आर.एल. (मर्की बर्का) कोल कम्पनी लिमिटेड, पर्यावास भवन दूसरा तल्ला ब्लाक नं. 1 (ए) जेल रोड अरेस हिल्स, भोपाल (म. प्र.) की तरफ से श्री सारीपुता मिश्रा, डायरेक्टर तथा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर, जिला-सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ता./-

(सारीपुता मिश्रा)

डायरेक्टर,

एम.पी.ए.एम.आर.एल. (मर्की बर्का) कोल कम्पनी लिमिटेड.

हस्ता./-

(एम. सेलवेन्द्रन)

कलेक्टर,

जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 नवम्बर 2013

क्र. 10658-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—समसवाड़ा, प. ह. नं.-30, ब. नं.-266,
रा. नि. मंडल-चौरई,
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.310
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली
संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा	प्रस्तावित रकमा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
33/7	0.200
26/4, 26/5-6	0.010
27/1	0.235
23/2, 24/2, 25/2,	0.324
26/1, 26/2, 26/3	
23/1, 24/1, 25/1	0.456
20	0.085
योग . .	<u>01.310</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऐंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, ऐंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, ऐंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 10659-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—सुरजना, प. ह. नं.-15, ब. नं.-297,
रा. नि. मंडल-चौरई,
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.436
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली
संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा	प्रस्तावित रकमा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
32	0.270
33	0.428
34/2	0.288
35/2	0.160

(1)	(2)	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
		(1)	(2)
35/1	0.010		
28,29/1	0.110		
30,31	0.170	86	0.500
योग . .	<u>01.436</u>	85/1 ख	0.390
(2)		45/1 क	0.180
		82/1	0.478
		85/2	0.300
		82/2	0.020
		5/3	0.597
		5/2,6/1,7,8/1	0.030
		11/4,12/4,13/3,14/6	0.005
		11/3,12/2,13/2,14/5	0.665
		19	0.348
		18	0.870
		योग . .	<u>04.383</u>
(3)			
(4)			
(5)			

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपर्वर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपर्वर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगाना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपर्वर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 10660-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—सरा, प. ह. नं.-15, ब. नं.-267,
रा. नि. मंडल-चौरई
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—04.383
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपर्वर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपर्वर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगाना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपर्वर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 10661-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

केंद्रीय वित्तीय समिति के द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		(1)	(2)
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—छिन्दवाड़ा		141,142	0.348
(ख) तहसील—चौरई		135/1 क	0.332
(ग) नगर/ग्राम—सलकनी, प. ह. नं.-15, ब. नं.-269, रा. नि. मंडल-चौरई,		135/4	0.396
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—10.016 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.		161/2, 164/2	0.054
		161/1, 164/1	0.080
		162, 163	0.206
		174	0.040
		110	0.016
		111/2	0.041
		113	0.509
		101/7	0.130
		101/5, 102/4	0.130
प्रस्तावित खसरा	प्रस्तावित रकमा		
नम्बर	(हे. में)	101/3	0.100
(1)	(2)	65/1	0.285
308,312/4	0.647	66/3	0.278
309/1	0.200	67/2	0.556
309/2	0.200	74/1	0.540
307/1	0.040	73,74/2	0.016
328/1	0.238	367/3	0.142
303/3 क	0.090	72/1	0.040
305,306,325/3	0.054	योग . .	10.016
323/3	0.320		
327	0.024		
328/2	0.144		
277/1,329/1	0.490		
275/2	0.158		
275/1	0.210		
329/4	0.010		
330/2	0.260		
329/3	0.009		
331/1, 331/4	0.366		
331/2, 331/3	0.413		
364/2	0.450		
364/3	0.040		
367/2	0.120		
367/4	0.142		
101/2	0.056		
101/6	0.216		
152	0.450		
153	0.300		
149	0.090		
151	0.040		

क्र. 10662-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—माचीवाड़ा, प. ह. नं.-13, ब. नं.-228,
रा. नि. मंडल—चौरई,
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—06.212
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली
संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा	प्रस्तावित रकमा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
516/4, 517/3	0.048
516/1, 517/1	0.304
516/3	0.627
514/1, 515/1	0.120
514/2, 515/2	0.744
507/2	0.824
507/4	0.005
507/1	0.174
444/2	0.240
502/3, 503/1	0.040
502/1	0.186
502/4	0.454
432/1	1.577
428	0.025
430/2, 431/2	0.121
429/2	0.010
429/1	0.300
425,426/1,427/1,427/3	0.413
योग . .	<u>06.212</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांधी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगाना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांधी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10663-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—कपूर्दा, प. ह. नं.-12, ब. नं.-14,
रा. नि. मंडल—चौरई,
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—07.485
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली
संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा	प्रस्तावित रकमा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
763,764	0.636
695,696	0.162
732	0.285
731	0.213
737,738	0.064
726,727,728,729	0.727
725/2	0.200
725/3,730/5	0.005
719/2,720/2	0.327
716	0.145

(1)	(2)
715	0.040
717/2	0.694
697	0.300
700/1	0.242
698	0.250
699	0.214
688/2,689/2	0.440
679	0.202
680/1	0.170
680/2	0.010
681/1,668/2	0.390
669/1	0.257
668/3,681/2	0.080
669/2	0.185
664/1	0.738
664/2	0.090
653	0.005
654	0.180
655	0.170
678/1,701/1	0.064
योग . .	<u>07.485</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—केदारपुरखुर्द, प. ह. नं.-14, ब. नं.-28, रा. नि. मंडल-चौरई,
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.487 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा	प्रस्तावित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
216/1	0.240
218/3	0.266
218/2	1.205
225/2,226	0.776
योग . .	<u>02.487</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उप संभाग क्रमांक-04 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र. 10664-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
- (ख) तहसील—मल्हारगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—आक्याबीका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—24.640 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
242/1	0.540
242/2	0.250
243	0.510
245	1.140
246	1.140
247	1.520
236/मिन-1	0.700
236/मिन-2	0.750
235	0.060
234/1	0.600
234/2	0.060
233	0.420
232	0.420
157	1.090
158	0.450
159	0.310
173	0.300
162	0.580
163	0.800
132/1	0.950
132/2	0.250
133	0.310
134	0.070
135	0.270
136/1	0.190
136/2	0.300
139	0.350

(1) (2)

140 0.350

147/2 0.200

127/1 0.700

127/2 1.430

128 0.150

131 2.020

153 1.140

154 0.880

125/2 0.500

142 0.650

156 0.410

160 0.620

161 0.510

239/मिन-2 0.750

योग . . 24.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आक्याबीका तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 7-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की बनी तालाब योजना के द्वारा क्षेत्र के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
- (ख) तहसील—शामगढ़
- (ग) ग्राम—बनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.23 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
540	0.25
1009	0.10
1002	0.10
838	0.15

(1)	(2)
837	0.09
836	0.15
835	0.10
373	0.10
372	0.19
योग . .	<u>1.23</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनी तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरोठ, जिला मन्दसौर के यहां किया जा सकता है।

प्र. क्र. 5-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
- (ख) तहसील—मल्हारगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—रूपारेल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.720 हेक्टर।

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
169/1	0.050
169/2	0.040
169/3	0.040
158	0.200
159	0.150
162	0.300
156/मिन-1	0.150
156/2	0.060
155	0.200
96	0.050
97	0.300
166/1	0.040
166/2	0.020
167/1	0.030
167/2	0.030
168/मिन-1	0.020
168/1	0.040
161	0.130

(1)	(2)
160/मिन-1	0.370
170/2	0.500
योग . .	<u>2.720</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आक्याबीका तालाब निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

इश्यू क्र. 95-प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
- (ख) तहसील—सीतामऊ
- (ग) ग्राम—करनाली जागीर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—21.400 हेक्टर।

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
152	0.240
154	0.040
156	0.270
155	0.260
160	0.130
159	0.170
162	0.130
175	0.220
176	0.170
163	0.200
166/1	0.060
166/2	0.050
167	0.110
173	0.100
181	0.170
182	0.120
183	0.130
174	0.240
177	0.140

(1)	(2)	(1)	(2)
175	0.140	451 पै.	0.180
179	0.140	452 पै.	0.620
180	0.110	450	0.400
193	0.250	453	0.750
194 मिन 1	0.290	468	0.190
195 मिन 1	0.180	454	0.230
196	0.340	469	0.280
240 मिन 1	2.100	150	0.390
188	0.150	170	0.200
195 मिन 2	0.280	455	0.200
226 मिन 2	0.020	465	0.080
227 मिन 2	0.230	467	0.050
229 मिन 2	0.220	456	0.030
231 मिन 2	0.130	451	0.170
233 मिन 2	0.110		
233 मिन 3	0.220	योग . .	<u>21.400</u>
240 मिन 2	0.190		
263	0.300		
264	0.140		
223	0.800		
440	1.360		
224	0.470		
225	0.020		
227 मिन 1	0.240		
229 मिन 1	0.220		
230	0.140		
231 मिन 1	0.130		
232 मिन 1	0.170		
233 मिन 1	0.080		
226 मिन 1	0.010		
232 मिन 2	0.240		
228	0.350		
233 मिन 4	0.080		
234	0.220		
235	0.220		
244	0.580		
171	0.600		
260	0.970		
262	0.360		
266 मिन 1	0.040		
264 मिन 2	0.040		
270	0.150	सर्वे नं.	रकबा
265	0.360	(1)	(हेक्टर में)
268	0.480		
269	0.150	466/1	0.340
266 मिन 2	0.030	464/2	0.080
442	0.040	448	0.210
444	0.590	466/2	0.360
		464/1	0.070
		466/3	0.450
		464/3	0.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गोपालपुरा तालाब के ढूब क्षेत्र हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सातामऊ, जिला मन्दसौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

इश्यू क्र. 96-प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
- (ख) तहसील—सीतामऊ
- (ग) ग्राम—गोपालपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—18.420 हेक्टर।

(1)	(2)	इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
468	0.400	अनुसूची
467	0.850	(1) भूमि का वर्णन—
470	2.310	(क) जिला—मंदसौर
475	0.980	(ख) तहसील—सीतामऊ
489	0.940	(ग) ग्राम—बसई एवं बांगली
490	0.400	(घ) लगभग क्षेत्रफल— $3.190 + 5.120 = 8.310$ हेक्टर.
491	0.910	
501	1.010	ग्राम-बसई
502	1.100	
493	1.430	सर्वे नं.
494	0.850	(1) रकबा (हेक्टर में)
495	0.460	(2)
496	0.570	411 0.360
497	0.100	428 0.600
498	0.950	549/1 0.180
499	0.310	599/2 0.150
500	1.000	546 0.350
503	0.450	545/1 0.300
474/1	0.030	545/2 0.370
476	0.070	544 0.100
487	0.120	526 0.100
488/1	0.150	530 0.200
492	0.260	529 0.030
446	0.400	599/1 0.150
449	0.120	599 मिन 3 0.150
450	0.040	603 0.150
461	0.030	योग . . 3.190
465	0.050	
485	0.400	बांगली
	योग . . 18.420	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गोपालपुरा तालाब के ढूब क्षेत्र हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सातामऊ, जिला मन्दसौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

इश्यू क्र. 97-प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आसपुरा तालाब के ढूब क्षेत्र हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सातामऊ, जिला मन्दसौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शासांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	
	36	0.02	
	23	0.10	
	38	0.63	
	37	0.37	
रतलाम, दिनांक 13 नवम्बर 2013	42	0.25	
क्र.-5113-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 16-अ-82-2012-	43	0.02	
13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	84	0.03	
अनुसूची	104	0.12	
(1) भूमि का विवरण—	35	0.37	
(क) जिला—रतलाम	123	0.12	
(ख) तहसील—सैलाना	124	0.40	
(ग) ग्राम—चन्देरा	192	0.14	
(घ) लगभग क्षेत्रफल —15.06 हेक्टेयर।	183	0.11	
	34/345	0.16	
निजी भूमि का विवरण	116	0.12	
सर्वे नम्बर	रकबा	90	0.22
	(हेक्टर में)	172	0.20
(1)	(2)	176	0.20
100	0.03	182	0.02
102	0.13	184	0.36
112	0.15	34/344	0.17
187	0.30	88	0.24
5	0.11	3	0.10
99	0.17	4	0.71
103	0.38	10	0.04
6	0.16	12	0.01
7	0.20	34	0.21
8	0.19	161	0.02
9	0.14	163	0.86
39	0.02	186	0.22
41	0.13	105	0.18
87	0.18	98	0.86
85	0.09	169	0.19
44	0.30	177	0.84
115	0.16	91	0.02
164/1	0.18	92	0.05
170	0.34	97	0.14
173	0.10	89	0.23
		175	0.33

(1)	(2)	(1)	(2)
166	0.20	401	0.47
178	0.02	404	0.63
174	0.02	408	0.30
167	0.20	410	0.07
168	0.10	405	0.30
योग . .	<u>13.80</u>	406	0.11
		412	0.22
		390	0.06
		389	0.09
82	0.28	391	0.02
127	0.13	407	0.30
79	0.15	411	0.21
185	0.20	413	0.15
341	0.35	419	0.05
1	0.15	369	0.27
योग . .	<u>1.26</u>	368	0.12
		367	0.34
		546	0.30
		566	0.12
		567	0.10
		563	0.10
		564	0.45
		565	0.17
		योग . .	<u>5.33</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण अनुबिभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सैलाना के कार्यालय में किया सकता है।

क्र. 5115-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 17-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—सैलाना
- (ग) नगर/ग्राम—पाटड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल — 12.20 हेक्टेयर।

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	रक्कम (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
402	0.14
400	0.25

शासकीय भूमि का विवरण	
403	0.17
474	0.45
409	0.55
366	0.51
479	0.14
493	0.13
569	3.10
515	0.50
516	0.02
527	0.25
528	0.05
457	0.19
478	0.81
योग . .	<u>6.87</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है।

क्र. 5117-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 18-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—सैलाना
- (ग) ग्राम—कलता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —7.30 हेक्टेयर।

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.01
28	0.14
47	0.52
48	0.95
44	0.01
45	0.26
46	0.02
49	0.07
50	0.30
51	0.38
53	0.94
52	0.13
54	0.11
30	0.02
31	0.10
63	0.40
69	0.08
29	0.20
67	0.25
26	0.01
27	0.26
64	0.40
66	0.69
योग . .	<u>6.25</u>

(1) (2)

शासकीय भूमि का विवरण

65	0.45
78	0.19
84	0.16
62	0.25
योग . .	<u>1.05</u>
महायोग . .	<u>7.30</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु।

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है।

क्र. 5119-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—सैलाना
- (ग) ग्राम—आम्बापाड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —5.36 हेक्टेयर।

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
165	0.16
166	0.42
167	0.38
515/1	0.03
160	0.05
185	0.12
186	0.22
187/1	0.10

(1)	(2)	(ख) तहसील—सैलाना
157/4	0.23	(ग) ग्राम—कालाखेत
518	0.05	(घ) लगभग क्षेत्रफल —16.23 हेक्टेयर
161	0.24	
519	0.20	
157/5	0.22	
158	0.28	
181	0.55	सर्वे नम्बर (1) (2)
183	0.40	40/2 0.50
193	0.15	166 0.06
184	0.16	170 0.01
162	0.32	171 0.65
163	0.10	33 0.24
187/2	0.11	175 0.75
182/1	0.14	162 0.06
योग . .	<u>4.53</u>	176 0.97
शासकीय भूमि का विवरण		
159	0.03	165 0.07
180	0.14	30 0.02
336	0.12	32 0.70
517	0.36	172 1.50
171	0.02	163 0.12
516	0.19	161 0.27
योग . .	<u>0.86</u>	164 0.08
महायोग . .	<u>5.36</u>	167 0.01
		169 0.13
		36 0.09
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाइन निर्माण (परियोजना) हेतु.		129 0.07
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.		39 0.05
		40/1 0.60
		174 0.50
		173 0.36
		योग . . <u>7.81</u>

क्र. 5121-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 20-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—रतलाम

शासकीय भूमि का विवरण

180	1.32
31	1.25
35	0.20
43	0.20
148	0.03
179	4.40
182	0.25
178	0.20
130	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
45	0.20	54/3	0.20
183	0.02	60	0.90
181	0.30	64	0.07
योग . .	<u>8.42</u>	54/1	0.80
महायोग . .	<u>16.23</u>	51/3	1.02
		56	0.15

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है।

क्र. 5123-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—सैलाना
- (ग) ग्राम—भेड़ली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —25.23 हेक्टेयर।

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95/3	0.70
55/2	0.28
54/5	0.40
59	0.30
51/2	0.15
92	0.55
66	0.05
65	0.28
57/2	0.90
54/2	0.65

शासकीय भूमि का विवरण

81	0.09
101	0.26
4	0.21
88	0.06
93	0.03
97/1	4.89
100/1	7.11
98	1.67
57/1	0.05
योग . .	<u>14.37</u>
महायोग . .	<u>25.23</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है।

क्र. 5125-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 22-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

	(1)	(2)
189		0.10
188		0.19
187		0.20
योग . .	13.46	

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रत्लाम
- (ख) तहसील—सैलाना
- (ग) ग्राम—गुड़भेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —15.48 हेक्टेयर.

शासकीय भूमि का विवरण

107	0.34
163	0.42
141	0.14
194	0.18
175	0.25
116	0.20
157	0.45
161	0.04
योग . .	2.02
महायोग . .	15.48

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
-------------	------------------------

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108	0.36
110	0.05
126	1.05
111	0.22
112	0.90
114	0.01
127	0.60
125	0.84
134	0.17
135	0.16
177	0.47
136	1.47
142	0.77
143	0.10
144	0.02
145	0.96
170	0.73
171	0.22
174	1.37
178	0.20
212	0.07
180	0.18
182	0.15
183	0.20
179	0.20
184	0.02
185	0.85
211	0.18
193	0.01
186	0.10
162	0.21
190	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दुंगरपुर रत्लाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.

क्र. 5127-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 23-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रत्लाम
- (ख) तहसील—सैलाना
- (ग) ग्राम—सेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —16.72 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
273/1	0.60

(1)	(2)
273/2	0.62
273/3	0.01
274	0.08
275	0.42
276	0.37
351	0.04
349	0.80
352	0.38
380	0.05
381	0.53
379	0.80
387	0.24
383	1.28
384	0.33
434	0.22
435	0.84
431	0.73
428	0.92
426	0.20
427	0.09
278/3	0.01
योग . .	<u>9.56</u>

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है।

क्र. 5129-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—सैलाना
- (ग) ग्राम—टोरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल — 16.58 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

	सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
278/1	171	0.22
278	52	0.66
386	60	0.25
430	46	0.78
436	56	0.72
325	57	0.14
186	58	0.27
277	48	0.38
280	161	0.02
385	69	0.40
433	157	0.42
355	61	0.15
367	163	1.10
429	155	0.02
409	165	0.02
353	49	0.27
योग . .	<u>7.16</u>	0.14
महायोग . .	<u>16.73</u>	0.65
	154	0.41
	156	0.14
	162	0.30
	47	0.30
	54	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—झुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु।

(1)	(2)	(ग) ग्राम—देवडुंगरा (घ) लगभग क्षेत्रफल —6.40 हेक्टेयर.
55	0.65	
67	0.06	
166	0.19	
68/5	0.07	
51	0.12	
	योग . . <u>8.55</u>	
		निजी भूमि का विवरण
		सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टेयर में)
		(1) (2)
50	0.40	88/3 0.11
141	0.21	88/4 0.11
164	2.98	63 0.04
59	0.20	64 0.11
70	0.18	65 0.15
1	0.16	69 0.37
153	0.08	70 0.39
29	0.28	71 0.08
158	1.22	72 0.31
45	0.32	77 0.04
53	1.90	82 0.10
44	0.10	83 0.35
	योग . . <u>8.03</u>	35 0.05
	महायोग . . <u>16.58</u>	88/5 0.50
		81 0.02
		96 0.16
		97 0.17
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.		73 0.02
		75 0.02
		62/1 0.02
		88/2 0.08
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है.		84 0.16
		85 0.07
		86 0.25
		80 0.23
		95 0.20
क्र. 5133-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 25-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		88/1 0.02
		89 0.02
		66/1 0.26
		68 0.09
		60 0.50
		66/2 0.48
		67 0.05
		33 0.02
(1) भूमि का विवरण—		36 0.18
(क) जिला—रतलाम		87 0.19
(ख) तहसील—सैलाना		योग . . <u>5.92</u>

(1)	(2)	(1)	(2)
शासकीय भूमि का विवरण		37	0.18
149	0.09	85	0.13
31	0.02	114	0.07
54	0.02	115	0.38
78	0.08	76	0.29
58	0.07	66	0.24
59	0.03	87	0.42
37	0.08	65	0.69
76	0.02	136	0.19
79	0.07	56	0.13
योग . .	<u>0.48</u>	57	0.10
महायोग . .	<u>6.40</u>	52	0.02
		119	0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है।

क्र. 5135-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 26-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—सैलाना
- (ग) ग्राम—पिण्डवारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —10.33 हेक्टेयर।

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	शासकीय भूमि का विवरण
(1)	(2)	
63	0.52	43 0.07
122	0.02	67 0.29
		73 1.36
		86 0.33
		110 0.35
		49 0.02
		54 0.06
		योग . . <u>2.48</u>
		महायोग . . <u>10.33</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु,	(1)	(2)
	129	0.70
	61	0.09
	योग . .	6.27

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है।

क्र. 5137-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—सैलाना
- (ग) ग्राम—बेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —6.99 हेक्टेयर।

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60	0.40
123	0.27
124	0.26
125	0.11
54	0.07
55	0.14
56	0.48
57	0.26
126	1.08
128	0.08
130	0.80
131	0.05
132	0.80
117	0.20
118	0.21
119	0.25
112	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया सकता है।

क्र. 5139-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 28-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—सैलाना
- (ग) ग्राम—अलकाखेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —13.16 हेक्टेयर।

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
187	0.40
197/1	0.030
197/2	0.85

(1)	(2)
90	0.06
योग . .	<u>0.94</u>
महायोग . .	<u>2.38</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाइन निर्माण (परियोजना) हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जावरा के कार्यालय में किया सकता है।

क्र. 5151-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 41-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—जावरा
- (ग) ग्राम—उणी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —1.17 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
906	0.62
910	0.55
योग . .	<u>1.17</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—तम्बोलिया वियर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु।

- (3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जावरा के कार्यालय में किया सकता है।

क्र. 5153-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 42-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
- (ख) तहसील—ताल
- (ग) ग्राम—कोटड़ी ताल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.07 हेक्टेयर.

निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
510/1/1	0.07
योग . .	<u>0.07</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—तम्बोलिया वियर योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आलोट के कार्यालय में किया सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2013

क्र. भू-अर्जन-2013-213-एस.डी.ओ. शाजापुर का प्र. क्र. 02-
अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि
की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन
के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा
6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त
भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर
- (ख) तहसील—गुलाना
- (ग) ग्राम—सिमरोल
- (घ) क्षेत्रफल—0.387 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1912/1	0.060
1914/2/1	0.118
1912/2	0.091
1914/1/2	0.037
1914/2/2	0.081
योग . .	<u>0.387</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—सिमरोल तालाब क्रमांक-2 परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पूरक प्रकरण जो अधिग्रहण क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र में आने वाली भूमि बाबत्.
- (3) भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 18 नवम्बर 2013

प्र. क्र. 02-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—श्यामपुर
- (ग) ग्राम—श्यामपुर
- (घ) क्षेत्रफल—0.435 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
900/710/2 में से	0.074
710	0.008
719	0.034
721/2	0.060
720/2	0.184
720/1	0.037
703, 704/6	0.038
योग . .	<u>0.435</u>

(2) भूमि अर्जन का प्रयोजन:—दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बांडी तट नहर की एल.एम.-2 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—श्यामपुर

- (ग) ग्राम—श्यामपुर
 (घ) क्षेत्रफल—0.092 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
542/2 में से	0.009
543/3	0.008
534/2	0.031
543/2ख	0.018
543/2क	0.004
543/2ग	0.012
534/1	0.010
योग . .	<u>0.092</u>

- (2) भूमि अर्जन का प्रयोजन:—दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बांई तट नहर की एल.एम.-4 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 19 नवम्बर 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
 (ख) तहसील—श्यामपुर
 (ग) ग्राम—श्यामपुर
 (घ) क्षेत्रफल—0.333 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
747/1 में से	0.014
748/3	0.023
747/3	0.053
746, 749, 750, 751/1क/1	0.068
744/1	0.073
744/2	0.102
योग . .	<u>0.333</u>

- (2) भूमि अर्जन का प्रयोजन:—दोराहा मध्यम सिंचाई परियोजना की बांई तट नहर की एल.एम.-1 माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

खरगोन, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. 677-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 58--अ-82-2012-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
 (ख) तहसील—खरगोन
 (ग) ग्राम—पीपरी
 (घ) क्षेत्रफल—130.445 हेक्टेयर
 निजी भूमि एवं शासकीय भूमि क्षेत्रफल 10.264 हे. पर स्थित परिसंपत्तियां (भूमि को छोड़कर).

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
426/2	0.070
430	0.593
431/1	0.854
431/2	0.854
434	1.295
438	0.454
439	0.057
440	3.600

(1)	(2)	(1)	(2)
517	0.300	1118/2	0.227
520	0.462	1119	0.458
521	1.432	1120	0.482
522	0.053	1121	0.678
523	0.073	1122	0.680
524	0.344	1123/1	0.566
525	0.360	1124/1	0.234
526	0.198	1127	0.308
527	0.170	1128	0.093
528	0.802	1129	0.486
529	0.384	1130	0.235
530	0.890	1131	0.291
531	0.105	1132	0.364
532/1	0.081	1133	0.008
532/2	0.117	1134	0.522
533	0.053	1135	0.684
534	0.344	1136	0.012
535	0.417	1137	0.575
536	0.008	1138	0.053
537	0.012	1139	0.243
538	0.218	1140	0.049
539	0.182	1141	0.202
540	0.368	1142	0.158
541/1	0.538	1143	0.081
541/2	0.383	1144	0.024
543	2.240	1145/1	0.284
544	0.676	1145/2	0.283
545	0.049	1146	0.259
546	1.335	1147	0.008
940	0.850	1148/1	0.295
943	0.555	1148/2	0.162
944	1.206	1148/3	0.171
945/1	0.559	1149	0.462
945/2	0.809	1150	0.012
946/2	1.915	1151	0.364
947	0.971	1152	0.405
948/1	0.149	1153	3.541
949/1	1.327	1154	0.097
1108	0.100	1155/1	0.842
1109	0.024	1155/2	0.558
1110	0.202	1156	0.344
1111	1.404	1157	0.400
1117	0.100	1158	1.481
1118/1	0.227	1160	0.121

(1)	(2)	(1)	(2)
1161	0.660	1208	0.121
1162	0.405	1209	0.425
1163	0.356	1210	0.392
1164/1	0.368	1211	0.793
1164/2	0.369	1212	0.219
1168	0.959	1213	2.104
1169	0.283	1214/1	0.400
1170/1	1.667	1214/2	0.024
1170/2	1.072	1214/3	0.405
1170/3	0.911	1215	0.049
1171/1	0.688	1216	0.526
1171/2	0.558	1217	0.607
1172	0.458	1218	0.040
1173	1.052	1219	0.611
1174	0.368	1220	0.057
1175	0.057	1221	0.287
1176	0.275	1222	0.405
1177	0.466	1223	0.433
1178	0.445	1224	0.841
1179	0.458	1225	1.879
1180	0.352	1226	1.052
1181	1.404	1227	0.708
1182	0.486	1228	0.510
1183	2.145	1229	0.332
1184	0.413	1230	0.129
1185	1.376	1231	0.433
1187	0.143	1232	0.636
1188	0.121	1234/1	1.230
1189	1.238	1234/2	1.011
1190	0.020	1235	0.809
1191	0.133	1236	1.594
1192	0.692	1238	0.320
1193	0.498	1239	0.500
1194	0.109	1256	0.777
1195	0.117	1261	0.020
1196	0.322	1263	0.085
1197	0.202	1264	0.220
1198	0.081	1266	0.933
1199	0.040	1270	0.534
1200	0.101	1272	0.697
1201	0.405	1273	1.174
1202	0.946	1274	1.169
1203	0.672	1275/1	1.315
1204/1	0.291	1275/2	1.315
1204/2	0.247	1276	1.505
1205	0.947	1277	1.189
1206	0.858	1278/1	1.514
1207	0.032	1278/2	1.517

(1)	(2)	(3)
1278/3	1.517	भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।
1279/1	1.018	
1279/2	1.012	
1279/3	1.968	
1280	2.322	
1281	0.231	क्र. 679-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 59-अ-82-2012-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—
1282	0.243	
1283	0.291	
1284	1.368	
1286/1	1.324	
1286/2	1.324	
1288/1	1.234	
1288/2	1.214	
1288/3	1.132	
1294	2.144	
1295	1.338	
1296/1	0.365	
1296/2	0.450	
1299	0.180	
1302/1	0.400	
1302/2	0.687	
कुल योग. .	<u>130.445</u>	

**1-शासकीय भूमि ना. का. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां
(भूमि को छोड़कर)**

खसरा नम्बर	कुल रक्बा (हे. में.)	परिसम्पत्तियों का विवरण
(1)	(2)	(3)
952/1	0.276	पक्के मकान-4 कच्चे मकान-9 पक्का बाथरूम-1 पक्की दिवार-3
योग . .	<u>0.276</u>	

**2-शासकीय भूमि ना. का. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियां
(भूमि को छोड़कर)**

खसरा नम्बर	कुल रक्बा (हे. में.)	परिसम्पत्तियों का विवरण
(1)	(2)	(3)
1186	6.600	तार फेन्सिंग एवं
1265	3.388	प्लानटेशन
योग . .	<u>9.988</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बेलेन्सिंग रिजर्ववायर-3, राईजिंग मेन-4 हेतु,

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—गोगांवा
- (ग) ग्राम—टेमरना
- (घ) क्षेत्रफल—4.260 हेक्टेयर।

खसरा नंबर	रक्बा (हे. में)
--------------	--------------------

(1)	(2)
-----	-----

219/1/1	0.030
---------	-------

219/2/2	0.100
---------	-------

219/2/3	0.120
---------	-------

219/3/1	0.010
---------	-------

219/3/2	0.180
---------	-------

232/2	0.080
-------	-------

233/1	0.060
-------	-------

233/2	0.120
-------	-------

233/3	0.120
-------	-------

233/4	0.100
-------	-------

233/5	0.080
-------	-------

243/1/2	0.080
---------	-------

243/2	0.030
-------	-------

243/4	0.190
-------	-------

248/1/1	0.040
---------	-------

251/1	0.030
-------	-------

251/2/1	0.130
---------	-------

251/2/2	0.010
---------	-------

251/4/1	0.080
---------	-------

251/5	0.220
-------	-------

252	0.280
-----	-------

263	0.600
-----	-------

(1)	(2)	(1)	(2)
235/2	0.230	14/3/3	0.100
235/3	0.020	14/3/4	0.100
236/2	0.230	15/1	0.030
236/3	0.030	16/4	0.240
237	0.060	18	0.260
242/1	0.110	21/1/1	0.100
242/2	0.180	21/1/2	0.100
243/1/1	0.090	21/1/4	0.130
264/1	0.090	22/1	0.080
264/2/1	0.040	22/2	0.130
264/2/2	0.040	26/2	0.130
264/3	0.130	26/3/3	0.130
264/7	0.020	30/2	0.250
269/1	0.290	33/1	0.260
269/2	0.010	33/3	0.150
कुल योग. .	<u>4.260</u>	33/5	0.080
		33/6	0.070
		33/7	0.060
		38/1	0.230
		42/1	0.130
		42/2	0.180
		43/2	0.190
		कुल योग. .	<u>3.450</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-1 हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 680-भू-अर्जन-2013-60-अ-82-2012-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—गोगांवा
- (ग) ग्राम—मेनगांवखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.450 हेक्टेयर

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
14/3/1	0.170
14/3/2	0.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-2 हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 678-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 61-अ-82-2012-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—गोगांवा

(ग) ग्राम—पिपलई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—38.382 हेक्टेयर.

निजी भूमि एवं शासकीय भूमि क्षेत्रफल 0.664 हे.
पर स्थित परिसंपत्तियां (भूमि को छोड़कर).

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
17/1	0.010
17/2	0.218
33/1/2	0.583
33/2	0.891
33/3	0.457
34/1/1	0.866
34/1/2	1.647
34/2	2.514
35/2/2	0.642
35/3	1.202
35/4/1	1.194
40/2	1.619
41/1	2.266
41/2/1	0.214
41/2/2	0.211
41/2/3	0.526
46	0.090
51/1/3	0.110
51/1/4	0.460
51/2	0.010
54	0.150
57/2	0.120
35/4/2	0.740
35/5	1.202
35/6	1.214
36/1	0.930
36/2/1	0.479
36/2/2	0.473
37	0.930
38/2	1.140
40/1/1/2	1.935
40/1/2/1	1.000
40/1/2/2	1.003
40/1/3	0.793
57/3	0.150
60/1	0.040
138/1	1.461
138/2	1.461
139	1.141
141	1.100
142/1	1.745
142/2/1	0.874

(1)	(2)
142/2/2	0.870
222/39	1.701
कुल योग . .	<u>38.382</u>

शासकीय भूमि ना. का. चर. पर स्थित परिसंपत्तियां (भूमि को छोड़कर)

खसरा नम्बर	रकबा	परिसंपत्तियां
(1)	(2)	(3)
39	0.664	हेण्डपंप-1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—खरगोन उद्वाहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बैलेस्सिंग रिजर्ववायर-02, ग्रेविटी मेन-1 हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 676-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 62-अ-82-2012-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—गोगांवा
- (ग) ग्राम—दसनावल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—123.390 हेक्टेयर
निजी भूमि एवं शासकीय भूमि क्षेत्रफल 4.424 हे. पर स्थित परिसंपत्तियां (भूमि को छोड़कर).

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
583/1/1/2	0.300
583/1/1/3	0.350
583/1/1/4	0.350
583/1/2	0.910
583/2	0.200
596/1	2.428
596/2	2.691
596/3	2.428

(1)	(2)	(1)	(2)
596/4	2.024	622/2	2.631
597/1	0.538	623/1	2.195
597/2	4.856	623/2	1.416
597/3	1.947	627/2/3	0.232
597/4/1	1.619	627/3	0.607
597/4/2/1	1.618	629	1.113
597/4/2/2	1.619	630	2.898
597/5	1.619	631/1	0.283
623/3	1.962	631/2	0.050
624/1	1.343	631/3	0.364
624/2	2.396	631/4	0.486
624/3/1	1.032	631/5	0.405
624/3/2	0.971	631/6	1.052
624/4	2.881	641/5	0.050
624/5/1	0.448	642/1	0.800
624/5/2	0.448	644/1/1	0.567
624/5/3	0.447	644/2/1	0.049
625/1	0.825	644/3/1	0.546
625/2	1.619	644/4/1	0.680
625/3	1.619	644/5/1	0.668
626/1	0.405	645/1	0.870
627/1/1	0.020	645/3	2.450
627/1/3	1.885	647/1	1.518
627/2/1	0.282	647/3	2.764
597/6	1.324	648/1	3.473
597/7	1.170	649	1.923
597/8	1.120	652/1	0.728
597/9	1.120	652/2	1.290
597/10	1.619	652/3	1.290
598/1	2.023	652/4	1.290
598/2	1.024	653/2/2	0.200
599	9.037	662/1	3.318
600/1क	3.036	कुल योग . .	<u>123.390</u>
600/1ख	1.623		
600/2	0.910		
600/3	2.225		
600/4	1.213		
600/5/1	0.304		
600/5/2	0.304		
600/5/3	0.303		
600/6	1.012		
601	1.133		
617/2क	0.809		
617/2ख	1.883		
617/3	2.023		
619	2.347		
620	1.437		
621/1	0.405		
622/1/1	0.566		
622/1/2	0.567		
622/1/3	0.567		

**शासकीय भूमि नि. चर. पर स्थित परिसम्पत्तियाँ
(भूमि को छोड़कर)**

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	परिसम्पत्तियों का विवरण
	(1)	(2)
626/2	4.424	पक्के मकान-2 कच्चे मकान-9
योग . .	<u>4.424</u>	<u>11</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बैलेन्सिंग रिजर्ववायर-2 हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	
सिंगरौली, दिनांक 30 नवम्बर, 2013	595	1.33	
	598/1	0.06	
	598/2	0.10	
	599	0.11	
क्र.-2940-भ.-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	600	0.20	
अनुसूची	638	0.06	
	642	0.51	
	643	0.35	
	641	0.07	
	644	0.41	
	645	0.29	
	646	0.15	
	647	0.06	
	658	0.10	
(1) भूमि का वर्णन—	657	0.15	
(क) जिला—सिंगरौली	665	0.04	
(ख) तहसील—सरई	690	0.40	
(ग) ग्राम का नाम—कटई, प.ह. 10	692	0.34	
(घ) कुल क्षेत्रफल—16.89 हेक्टर.	695	0.30	
	699	0.04	
खसरा नंबर	780	0.31	
	भू अर्जन हेतु आवेदित क्षेत्र	783	0.32
	(हेक्टर में)	785	0.36
(1)	(2)	828	0.18
452	0.10	826	0.08
566	0.53	830	0.07
564	0.28	824	0.05
568	2.10	836	0.05
579/1	0.03	838	0.06
579/2	0.10	839	0.06
572	0.17	841	0.11
571	0.34	842	0.05
570	0.85	843	0.07
573	0.02	848	0.17
576/1	0.10	847	0.08
576/2	0.13	849	0.06
576/3	0.12	850	0.04
576/4	0.11	2640/1	0.02
576/5	0.15	2640/2	0.02
576/6	0.12	2642	0.28
582/1	1.32	2643	0.10
582/2	1.32	2644	0.40
587/1	0.21	2646	0.20
583	0.08	2648	0.25
		2649	0.25
		योग	16.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बैराज निर्माण से डूब प्रभावित क्षेत्र हेतु भू-अर्जन .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्ड्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

क्र.-684-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र.-1-अ-82-2012-
13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि
नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के
पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)
की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम का नाम—जामन्या,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.809 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
107	2.000
108	0.162
111	0.077
109	0.344
110	0.202
112	0.308
114	0.688
115	1.396
106	0.892
105	0.030
104	0.270
116	1.995
117	0.445
योग	8.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मथियानाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.-683-भू.-अर्जन-2013-प्र.क.-2-अ-82-2012-
13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि
नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के
पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)
की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम का नाम—टेमरनी,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.962 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
394	0.162
399	0.243
401/2	1.687
401/1	1.619
400/1	0.405
400/2	0.405
406/1	0.360
405	0.081
योग	4.962

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मथियानाला तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.-685-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र.-3-अ-82-2012-
 13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि
 नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के
 पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता
 है। अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)
 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि
 उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम का नाम—सुवारा,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—14.220 हेक्टर.

खसरा नंबर	रक्का (हेक्टर में)
(1)	(2)
171	0.056
185/2	0.850
172/5	0.316
178	0.697
172/4	0.160
175	1.133
176	0.539
173	1.698
177	1.323
181	1.684
186	0.056
187	0.222
180	0.286
200/3	0.284
184	0.425
185/1	0.170
172/2	0.050
182	0.023
199	0.632
200/1	0.931
200/2	1.703
201	0.750
202	0.160
200/4	0.072
योग . .	<u>14.220</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता
 है—सुवारा तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं ढूब क्षेत्र
 हेतु भूमि की आवश्यकता ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन,
 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी,
 कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन
 के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-686-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र.-4-अ-82-2012-
 13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि
 नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के
 पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता
 है। अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)
 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि
 उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम का नाम—भोकरिया,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—12.715 हेक्टर.

खसरा नंबर	रक्का (हेक्टर में)
(1)	(2)
17/1	2.131
17/2	2.354
17/3	1.462
19	1.712
21	1.968
23	0.518
24	1.850
25	0.640
29/2	0.080
योग . .	<u>12.715</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता
 है—सुवारा तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं ढूब क्षेत्र
 हेतु भूमि की आवश्यकता ।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन,
 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी,
 कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन
 के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

क्र-6-अ.82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—छतरपुर
- (ग) नगर / ग्राम—गहरवार,
- (घ) लगभग क्षे. निजी भूमि—60.000 हेक्टर.

खसरा नंबर

अर्जित रकमा
(हेक्टर में)

(1) (2)

3778 0.050

3847 1.340

3849 2.870

3850 1.500

3780 0.670

3782 0.390

3783 0.670

3785 1.100

3786 0.980

3787 0.360

3789 1.740

3791 0.840

3792/2 1.500

3793 1.300

3794 1.570

3795 1.500

3796 1.020

3797 0.430

3798 1.180

3799 0.380

3800 0.370

3801 2.940

3802 0.410

(1) (2)

3803 0.650

3805 0.180

3806 1.170

3807 0.670

3816 0.870

3808 1.090

3809 0.540

3810 1.280

3811 1.180

3812 0.590

3814 0.550

3813 2.230

3815 0.810

3824/1 0.243

3829/1 0.080

3824/2 0.243

3829/2 0.080

3824/3 0.244

3829/3 0.080

3825 0.940

3854 0.370

3826 1.180

3827 0.880

3828 1.160

3831 2.250

3832 1.420

3833 1.840

3834 0.410

3835 2.830

3838 2.660

3839 1.200

3774 0.300

3778 0.050

3875 0.580

3818 2.020

3819 2.020

योग 60.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तड़पेड बांध योजना के भराव हेतु .

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 6-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—घुवारा
- (ग) नगर/ग्राम—कुड़ैला,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—15.176 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकमा
	(हेक्टर में)

(1)	(2)
-----	-----

3	0.995
4	1.246
5/1	0.100
5/2	0.029
6/1	0.607
6/2	0.242
7/1	0.172
7/2	0.172
8	0.040
9	0.229
10	0.089
11	0.283
12	0.223
13	0.061
14	0.299
15/1	0.405
15/2/1	0.262
15/2/2	0.263
16/1	0.346
16/2	0.196
17	0.242
18	0.680
19/1	0.109
19/2	0.109
20/1	0.130
21/1/1	0.114
21/1/2	0.114

(1)	(2)
21/2	0.726
22	0.304
23	0.454
24	0.020
25	0.882
26	0.105
27	0.105
29/4/1	0.280
29/4/2	0.441
33/1/2	0.635
87	0.358
89	0.210
91/1	0.307
94	1.218
95	0.925
96	0.125
98/2	0.324

योग . . 15.176

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 7-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—घुवारा
- (ग) नगर/ग्राम—सोरखी,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—373.353 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकम (हेक्टर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	92	0.324
2	0.915	95	1.129
3	0.040	97	1.234
7	0.741	99/3	0.105
9	0.656	101/1	0.425
11	0.898	101/2	0.175
12	0.178	101/3	0.176
13	1.242	103	1.562
17	0.372	104	0.809
27	0.237	107	0.640
31	0.636	108	0.526
35	0.372	110	1.299
36	0.628	111	0.080
37	0.640	116	0.773
38	0.474	119	1.558
39	0.433	121	0.214
40	0.251	122	0.101
41	0.595	123	0.498
44	0.312	126	1.781
45/1	0.456	128	1.214
46	0.069	129	0.077
47	1.445	131	1.258
49	0.676	132	1.594
50	0.433	133/1	0.338
51	0.190	133/2	0.168
62	0.150	133/3	0.169
64/1	0.266	134	0.469
68	0.057	136	1.546
69	0.494	137/1	0.202
70	0.543	137/2	0.278
72	0.121	137/3	0.275
74	0.081	138/1	0.391
75	0.040	138/2	0.196
79	1.180	138/3	0.196
83/1	0.300	139	0.567
83/2	0.594	140	1.104
84	0.470	141	1.161
85	1.032	142	1.015
86	1.279	143	1.011
87	0.202	144	1.356
90/1	1.285	148	1.578
90/2	1.285	150	0.951
91	0.660	151	1.303
		152	0.198

(1)	(2)	(1)	(2)
154	1.497	210	0.368
160	0.364	212	0.045
161/1	0.898	213	0.154
161/2	0.899	214	0.170
163/1	0.300	215	0.049
163/2	0.897	216	0.032
165	0.283	217	0.117
168	0.910	218	0.089
169	0.413	219	0.194
171	0.150	220	0.344
172	0.150	222	0.009
173	0.466	223	0.040
174	0.595	224	0.040
176	0.910	225	0.295
178/1	0.526	226	0.243
178/2	0.530	227	0.510
179	0.526	228	0.028
180	0.283	229	0.081
181	0.170	230	0.014
182	0.142	231	0.336
183	0.364	232	0.210
184	0.040	235	0.210
185	0.061	236	0.947
186	0.105	237	0.036
188/1	0.203	238	0.300
188/2	0.202	239	0.600
192	0.247	242	0.400
193/1	0.041	262	0.093
193/2	0.076	263	0.121
194	0.129	268	0.073
195	0.235	269	0.040
196	0.255	270/1	0.013
197	0.850	270/2	0.015
198	0.101	271	0.170
199	0.170	272	0.129
200	0.368	273	0.202
201	0.182	274	0.251
202	0.154	275	0.190
203	0.073	276	0.567
204	0.696	277	0.032
205	0.926	278	0.352
206	0.932	279	0.176
207	0.975	279/2	0.352
208	0.190	279/3	0.117
209	0.259	280	0.235

(1)	(2)	(1)	(2)
281	0.028	329	0.275
282/1	0.219	330	0.194
282/2	0.073	331	0.129
283/3	0.073	333	0.076
283	0.214	335	0.174
284	0.656	336	0.109
285	0.210	339	0.906
286	0.162	342	0.494
287	0.162	343	0.619
288	0.089	344	0.008
289	0.089	345	0.526
290	0.073	347	0.934
291	0.182	348	0.304
292	0.012	350	0.283
293	0.243	351	1.360
294	0.069	352	0.105
295	0.069	353	0.101
296	0.049	354	0.008
297	0.028	355	0.425
298	0.429	358	1.007
299	0.077	359	0.772
300	0.040	360	0.040
301	0.295	361	0.040
302	0.518	362	0.134
303	0.105	363	0.134
304	0.057	364	0.162
306	0.202	365	0.134
307	0.235	366	0.154
308	0.036	367	0.251
309	0.336	368	0.040
310	0.028	371	0.202
311	0.049	372	2.481
312	0.101	373	0.085
313	0.125	374	0.210
314	0.231	375	0.129
315	0.360	379/1	0.010
316/1	1.772	379/2	0.010
319	0.858	380/1	1.073
321	0.648	380/2	1.282
323	0.275	381	0.458
324	0.202	382	0.737
325	0.781	383	0.575
326	0.563	384	0.121
328	0.789	385	0.057

(1)	(2)	(1)	(2)
386	0.081	436	0.781
387	0.105	438	0.344
388	0.020	439	0.170
389	0.202	440	0.364
390	0.162	441	0.526
391	0.648	442	1.032
392	0.283	443	0.817
393	0.032	459	0.628
394	0.121	460	0.575
395	0.085	466/1	0.273
396	0.214	466/3	0.273
397	1.092	466/4	0.273
398/1	0.963	468/1	0.437
398/2	0.910	468/2	0.729
399	1.574	501	0.380
400/1/2	0.388	503	0.138
400/2	0.809	519	1.931
400/2/2	0.270	520	2.387
401	0.283	537	0.300
404/1	0.716	541	0.587
404/2	0.717	542	0.397
405/1	1.100	543	0.515
405/2	1.129	547	0.887
406	1.400	603	0.450
408	0.202	616	0.243
410	0.684	617	0.312
412	0.514	618	0.750
413	1.214	620	0.250
414/2	0.200	624	0.575
415	0.040	625	0.100
416	0.364	626	0.409
418	0.829	627	0.575
419	0.384	628	1.100
420	0.930	632/2	1.151
421	0.089	633/2	0.101
423	0.405	634/2	0.178
425	0.148	635	0.053
426	0.231	639	2.200
427	0.567	640	0.350
428	0.200	642	0.563
430	0.405	643	0.348
432	2.800	644	0.263
434	0.486	647	0.020
435	0.955	648/1	0.470

(1)	(2)	(1)	(2)
649	0.186	695	0.077
654	0.162	696	0.599
655	0.421	697	0.061
656	0.081	700	0.040
657	0.061	701	0.121
658	0.223	702	0.121
659	0.223	703	1.457
660	0.425	704	0.121
661	0.024	705	0.466
662	0.336	706	0.441
663	0.129	707	0.227
664	0.049	708	0.117
665	0.032	709	0.660
666	0.040	716	0.800
667	0.332	718	1.000
668	0.024	719	0.450
669	0.162	720	0.093
670	0.364	722	0.500
671	0.429	737	0.110
672	0.263	738	0.162
673/1	1.491	739	0.405
673/2	2.836	740	0.040
673/3	3.230	741	0.417
673/4	1.493	742	0.372
674	0.105	743	0.140
675	0.109	744	0.214
676	0.081	745	0.360
677	0.388	746	0.113
678	0.833	747	0.364
679	0.081	748	0.219
680	0.121	749	0.040
681	0.170	752	0.129
682	0.263	753	0.263
683	0.170	754	0.259
685	0.040	755	0.648
686	0.194	756	0.113
687	0.069	759	0.061
688	0.057	761	0.061
689	0.032	763	0.259
690	0.526	764	0.138
691	0.008	765/1	0.257
692	0.040	765/2	0.257
693	0.202	766/1	0.091
694	0.049	767	0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
768	0.065	876	0.279
769	0.008	878	0.312
770	0.081	879	0.210
771	0.057	881	0.316
772	0.049	882	0.028
773/1	0.023	884	0.040
773/2	0.023	885	0.316
773/3	0.021	886	0.214
773/4	0.024	887	0.121
834	0.200	889	0.024
839	0.223	890	0.785
840	0.028	893	0.182
841	0.125	894	0.425
842	0.657	895	0.384
847	0.049	896	0.384
848	0.057	897	0.162
849	0.020	898	0.926
851	0.433	899	0.016
852/1	0.073	900	0.543
852/2	0.024	902	0.522
852/3	0.025	903	0.040
853	0.057	904	0.729
854/1	0.228	905	0.146
854/2	0.101	906	0.073
854/3	0.101	907	0.077
855	0.474	908	0.077
856	0.024	909	0.028
858	0.190	910	0.016
859	0.202	911	0.020
860	0.016	912	0.016
861	0.061	913	0.024
862	0.081	914	0.024
863	0.287	915	0.024
865	0.817	916	0.016
866	0.016	917	0.016
867	0.040	918	0.016
868	0.061	919	0.040
869	0.028	920	0.040
870	0.101	921	0.016
871	0.174	922	0.020
872	0.478	923	0.020
873	0.162	924	0.020
874	0.117	925	0.049
875	0.150	926	0.069

(1)	(2)	(1)	(2)
927	0.049	991/3	0.668
928	0.012	991/4	0.538
929	0.024	994	0.636
930	0.013	995	0.368
931	0.053	996	0.506
932	0.040	997	0.656
933	0.049	998	0.539
934	0.040	999/1	0.368
935	0.131	1000	0.773
936	0.154	1001	0.109
937	0.040	1002	0.672
938	0.053	1003	0.506
939	0.081	1004	0.530
940	0.518	1005	0.388
941	0.227	1006	0.401
942	0.255	1008	0.749
943	0.125	1009	0.595
944	0.450	1010	0.789
945	0.121	1012	0.401
948	0.295	1013	0.291
949	0.396	1014	0.845
950	0.158	1015	0.809
957	0.089	1018	0.312
966	0.061	1020	0.291
968	0.040	1022	0.615
970	0.138	1023	0.922
971	0.717	1024/1/1	0.611
972	0.028	1024/1/2	0.769
973	0.101	1025	0.466
974	0.142	1026	0.089
975	0.202	1027/1	0.150
976	0.020	1027/2	0.146
979	0.049	1028/2	0.101
980	0.061	1029	0.809
981	0.012	1030	0.340
982	0.053	1031	0.316
983	0.081	1033	0.214
984	1.028	1034	0.470
985	0.486	1035	0.292
987/1	0.543	1036	0.506
987/2	0.543	1037	0.397
988	1.270	1038	0.312
991/1	0.368	1039	1.036
991/2	0.304	1040	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
1041	0.162	1085	0.356
1042	0.016	1086	0.154
1043	0.692	1088	0.081
1044	0.182	1089	0.146
1045	0.688	1090	0.101
1046	0.101	1091	0.267
1047	0.020	1092	0.028
1048	0.016	1093	0.494
1049	0.069	1094	0.275
1050	0.259	1095	0.146
1051	0.194	1096	0.057
1052	0.040	1097	0.040
1053	0.032	1098	0.656
1054	0.032	1099	0.125
1055	0.028	1100	0.069
1056	0.040	1101/1	0.266
1057	1.208	1101/2	0.062
1058	0.162	1102	0.020
1059	0.898	1103	0.482
1060	0.214	1105	0.101
1061	0.089	1106	0.008
1062	0.089	1107	0.008
1063	0.113	1109	0.219
1064	0.032	1112	0.020
1065	0.121	1113	0.105
1066	0.182	1114	0.162
1067	0.045	1115	0.319
1068	0.247	1116	0.287
1069	0.206	1117	0.040
1070	0.267	1118	0.040
1071	0.170	1119	0.632
1072	0.040	1120	0.781
1073	0.817	1121	0.016
1074	0.251	1122	0.020
1075	0.057	1124	0.069
1076	0.142	1126	0.061
1077	0.089	1127	0.028
1078	0.502	1128	0.721
1079	0.356	1129	0.012
1080	0.057	1130	0.227
1081	0.040	1131	0.417
1082	0.125	1132	0.089
1083	0.113	1133	0.016
1084	0.053	1134	0.057

(1)	(2)	(1)	(2)
1135	0.020	1223	0.672
1136	0.020	1224	0.008
1137	0.012	1225	0.971
1138	0.024	1227	0.206
1139	0.028	1229	0.182
1140	0.032	1230	0.930
1141	0.251	1231/1	0.243
1142/1	0.111	1231/2	0.534
1142/2	0.070	1231/3	0.454
1142/3	0.070	1232	1.189
1143	0.045	1233/1	1.433
1155	0.040	1233/2	1.307
1198	0.286	1233/3	0.854
1200	0.300	1233/4	0.599
1203	0.103	1233/5	1.025
1201	0.016	1234	0.287
1202	0.526	1235	0.413
1205	0.087	1238	0.239
1206	0.121	1239	0.142
1207	0.263	1242/1	1.141
1208	0.162	1245	0.704
1209	0.202	1247/1	0.773
1210	0.158	1247/2	0.771
1211	0.486	1247/3	0.036
1212	0.081	1250	1.639
1213	0.041	1251	4.634
1214	0.567	1252	0.789
1215	0.628	1253	1.701
1216	0.024	1254	0.688
1217	0.514	1255	0.874
1218	0.215	1256	0.749
1219	0.628	1257	0.676
1220	0.012	1258	0.271
1221	0.494	1259	0.575
1222	0.405	1260	0.086

(1)	(2)	(1)	(2)
1261	0.393	1298	1.254
1262	0.012	1300	0.506
1263	0.223	1301	0.870
1264	0.101	1302	0.886
1265	0.097	1303	0.680
1266	0.182	1304	1.420
1267	0.101	1305	0.223
1268	0.101	1306	0.283
1269	0.040	1308/1	0.858
1270	0.251	1308/3	0.850
1271	0.101	1308/4	0.255
1272	0.223	1310	0.809
1273	0.578	1311	1.462
1274	0.040	1313	0.283
1275	0.459	1314/1	1.133
1276	1.040	1314/2	1.113
1277	1.384	1315	0.283
1278	1.238	1316	0.769
1281/2	0.729	1317	0.991
1281/3	0.543	1318	1.598
1281/4	0.275	1320	0.065
1281/5	0.575	1321	0.170
1281/6	0.559	1323	0.119
1281/7	0.263	1324	0.075
1283	0.223	1325	0.080
1284	0.344	1326	0.134
1285	0.109	1328	0.340
1286	0.162	1330	0.299
1287	0.587	1331	0.055
1288	0.567	1333	0.170
1290	1.700	1334	0.239
1291	0.283	1335	0.405
1292	0.387	1336	0.020
1293	0.182	1337	0.575
1296/1	0.303	1338	0.090

(1)	(2)	(1)	(2)
1339	0.050	1392	0.413
1340	0.040	1394	0.510
1341	0.551	1396	0.890
1342	0.028	1399	0.559
1343	0.151	1400	0.189
1345	0.146	1401	0.174
1347	0.040	1417	0.200
1350	0.372	1419	0.253
1351/1	0.768	1421	0.214
1352/1	0.405	1422	0.061
1353	0.101	1424	0.089
1355	0.066	1425	0.709
1356	0.202	1426	0.223
1357	0.020	1427	0.267
1358	0.881	1429	0.478
1359	0.028	1430	0.821
1360	0.222	1434	0.182
1361	0.494	1436	0.121
1364	0.210	1437	0.016
1365	0.129	1438	0.174
1368	0.539	1440	0.640
1370/1/3	1.991	1442	0.591
1371	0.202	1444	0.150
1373	0.162	1445	0.061
1374	0.263	1446	0.105
1375	0.450	1447	0.166
1376	0.299	1448/1/1	0.203
1377	0.032	1448/2/2	0.197
1378	0.032	1448/3/3	0.222
1379	0.053	1449	0.182
1380	0.045	1450	0.263
1381	0.121	1451	0.105
1382	0.097	1452	0.101
1383	0.073	1456	0.619
1384	0.020	1457	0.097
1385	0.405	1458	0.146
1386	0.243	1464/2/1	0.069
1388	0.356	1464/2/2	0.377
1390/1/2	0.315	1464/3	0.150
1390/1/3	1.000	1479	0.050
1390/4	0.219	1481/1	0.526
1391	0.963	1484	0.100

(1)	(2)	(1)	(2)
1485	0.130	1544	0.225
1486	0.135	1546	0.150
1487/1/1	0.600	1545	0.384
1487/2/1	0.100	1547	0.142
1487/3	0.551	1548	0.283
1488	0.162	1549	0.299
1489	0.417	1550	0.020
1490	0.498	1551	0.999
1491	0.421	1552	0.065
1492	0.445	1554	0.470
1493	0.178	1555	0.743
1494	0.231	1556	0.445
1495	0.279	1557	0.781
1496	0.215	1558/1	1.618
1497	0.466	1558/2	1.567
1498	0.518	1560	0.429
1499	0.162	1561	0.142
1500	0.032	1563	0.486
1502	0.866	1564	0.384
1504	0.526	1565	0.322
1505	0.364	1566	0.146
1508	0.210	1567	0.518
1509	0.125	1570	0.043
1510	0.101	1577	0.441
1511	0.032	1582	0.514
1512	1.311	1584	0.064
1513	0.061	1586	0.182
1514	0.332	1587	0.100
1515	0.190	1588	0.282
1516	0.012	1647	0.142
1517	1.538	1648	0.097
1518	0.073	1649	0.730
1519	0.182		
1522	0.089	योग . . .	<u>373.353</u>
1523	0.113		
1524	0.425	(2) बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव	
1526	0.400	क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.	
1527	0.020		
1528	0.073	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी	
1529	0.040	एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर में किया	
1532	0.162	जा सकता है.	
1538	0.200		
1543	0.146		

- (2) बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर	41/1	1.584
(ख) तहसील—घुवारा	41/2	1.103
(ग) नगर/ग्राम—बन्न (बरेला)	43	0.049
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —246.572 हैक्टर.	44/1	0.636

ख. नं.	अर्जित रकमा (है. में)	(2)
(1)	(2)	(1)
3	1.732	46/3
4	0.049	47/1/1
5	0.777	47/1/2
6	0.150	47/2
7	1.635	48
8	0.737	49/1
9	0.947	49/2
10	0.429	50
11	1.801	51
12/1	0.304	52
12/2	0.384	53
13	1.761	55
14	0.101	57
15/1	0.453	59
15/2	0.453	60/1
16	0.494	62
17	0.676	64
18	0.081	65
19	0.490	66
20	0.304	67
21	0.020	70
22	0.024	72
24	0.045	73/1/1
26/1	0.310	73/1/2
26/2	0.310	73/1/3
26/3	0.310	63/2
27	1.311	74/1
28/1	1.161	74/2

(1)	(2)	(1)	(2)
74/3	0.207	111	0.316
75/1	0.842	112	0.142
75/2	0.421	113/1	0.125
75/3	0.421	113/2	0.126
76/1	0.364	114	0.117
76/2	0.364	115	0.028
76/3	0.364	116	0.174
77/1	0.331	117	0.162
77/2	0.332	118	0.291
77/3	0.332	119	0.113
78	0.648	119/2	0.113
79	0.239	119/3	0.114
80	0.364	120	0.134
81	0.430	121/1	0.430
82	0.934	121/2	0.431
83	0.947	121/3	0.430
84	0.624	122	0.729
85	0.356	123	0.376
86	0.202	124	0.372
87	0.146	125/1	0.809
88	0.166	125/2	0.729
89	0.514	126	0.057
90	0.368	127	0.057
91	0.729	128	0.020
92	0.206	129	0.057
93	0.409	130	0.049
94	0.129	131	0.125
95/1	0.032	132	0.166
95/2	0.033	133	0.162
96	0.182	134	0.170
97	0.174	135/1	0.287
98	0.210	135/2	0.287
99	0.441	135/3	0.388
100	0.206	136/1	0.255
101	0.555	136/2	0.255
102	1.011	136/3	0.255
103	0.555	137/1	0.364
105/1	0.190	137/2	0.364
105/2	0.191	137/3	0.364
105/3	0.192	138	0.761
107	0.368	139	1.231
108	0.291	140	0.348
109	0.150	141	0.777
110	0.041	146/1	0.391

(1)	(2)	(1)	(2)
146/2	0.398	188/1	0.597
148	0.364	188/2	0.596
149	0.332	189	0.223
151	0.769	190	0.012
153	1.372	192/1	0.135
154/1	0.485	192/2	0.135
154/2	0.243	192/3	0.135
155/1	0.101	193/1	0.029
155/2	0.053	193/2	0.032
155/3	0.048	193/3	0.032
156/1	0.509	194	0.279
156/2	0.255	195	0.040
156/3	0.255	196	0.202
157/1	0.203	197/1	0.214
157/2	0.101	197/2	0.417
157/3	0.101	197/3	0.202
158	0.947	198	0.275
159/1	0.020	199	0.300
159/2	0.020	200	0.969
159/3	0.025	201	0.522
160	0.320	202	0.530
164	0.526	203/1	0.035
166	0.486	203/2	0.035
167	0.648	203/3	0.035
168/1	0.616	204	0.109
168/2	0.310	205	0.113
169/1	0.440	206	0.109
169/2	0.170	207	0.061
170/1	0.554	208/1	0.052
170/2	0.275	208/2	0.053
170/3	0.275	208/3	0.053
174/1	0.611	209	0.502
174/2	0.611	210/1	0.062
177	0.963	210/2	0.062
178	0.781	210/3	0.062
180/1	0.915	211	0.478
180/2	0.914	212	0.295
181/2/1	0.121	213/1	0.095
181/2/2	0.061	213/2	0.094
181/2/3	0.061	213/3	0.094
182	1.275	214/1	0.025
183	0.466	214/2	0.024
184	0.478	214/3	0.024
187	0.644	215/1	0.213

(1)	(2)	(1)	(2)
215/2	0.213	243	0.632
215/3	0.214	244	0.210
218/1	0.129	246/1	0.401
218/2	0.128	246/2	0.401
218/3	0.128	247	0.146
219/1	0.126	248/1	0.369
219/2	0.125	248/2	0.369
220	0.117	248/3	0.700
221/1	0.009	249/1	0.369
221/2	0.009	249/2	0.370
221/3	0.009	249/3	0.369
221/4	0.026	250	0.947
222/1	0.046	251/1	0.147
222/2	0.046	251/2	0.147
222/3	0.049	251/3	0.147
223	0.134	252/1	0.077
224	0.178	252/2	0.077
225	0.275	252/3	0.077
226/1	0.166	253/1	0.038
226/2	0.165	253/2	0.037
226/3	0.165	253/3	0.039
227	0.429	254/1	0.075
228	0.024	254/2	0.075
229/1/1	0.020	254/3	0.075
229/1/2	0.020	255/1	0.077
229/1/3	0.021	255/2	0.077
229/2	0.081	255/3	0.077
230/1	0.332	256	0.093
230/2	0.331	257/1	0.111
230/3	0.332	257/2	0.111
231	0.279	257/3	0.110
232	0.097	258/1	0.333
233/1	0.181	258/2	0.333
233/2	0.181	258/3	0.334
233/3	0.181	258/4	0.023
234/1	0.441	259/1	0.011
234/2	0.441	259/2	0.010
234/3	0.441	259/3	0.011
236/1	0.297	260/1	0.078
236/2	0.296	260/2	0.079
236/3	0.297	260/3	0.078
239/1	0.082	261/1	0.094
239/2	0.082	261/2	0.094
239/3	0.083	261/3	0.095

(1)	(2)	(1)	(2)
262/1	0.192	292/2	0.021
262/2	0.192	290/3	0.020
262/3	0.191	291/1	0.757
263	0.134	291/2	0.101
264	0.312	292/1	0.179
265/1	0.170	292/2	0.180
265/2	0.170	292/3	0.180
266	0.530	293	0.162
267/1	0.020	294/1	0.110
267/2	0.025	294/2	0.110
268	0.450	294/3	0.112
269	0.376	295/1	0.190
270/1	0.216	295/2	0.191
270/2	0.216	295/3	0.190
270/3	0.078	296	0.190
271	0.138	297/1	0.091
272	0.170	297/2	0.092
273/1	0.137	297/3	0.092
273/2	0.069	298/1	0.029
273/3	0.069	298/2	0.028
274	0.214	298/3	0.028
274/1	0.976	300	0.113
274/2	0.975	301/1	0.049
275/1	0.365	301/2	0.049
275/2	0.097	301/3	0.048
276	0.470	302/1	0.030
277	0.446	302/2	0.029
278	0.247	302/3	0.030
280	0.219	303/1	0.049
281	0.040	303/1/2	0.049
283/1	0.093	303/1/3	0.048
283/2	0.089	304	0.069
283/3	0.093	305/1	0.043
284/1	0.162	305/2	0.043
284/2	0.162	305/3	0.043
284/3	0.162	306	0.129
285	0.073	307/1	0.103
286/1	0.210	307/2	0.103
286/2	0.215	307/3	0.102
278/1	0.283	308/1	0.062
287/2	0.263	308/2	0.062
288	0.190	308/3	0.062
289	0.040	309	0.660
290/1	0.020	310	0.995

(1)	(2)	(1)	(2)
311/2	0.575	334/7	0.180
312	0.380	334/8	0.131
313	0.344	335/1	0.095
314	0.753	335/2	0.095
316	0.462	335/3	0.108
317	0.372	335/4	0.072
318	0.275	335/5	0.073
319/1	0.650	335/6	0.073
319/2	0.649	335/7	0.110
320/1	0.135	335/8	0.070
320/2	0.136	336/1	0.064
321/1	0.208	336/2	0.064
321/2	0.840	337/1	0.260
322/1	0.017	337/2	0.260
322/2	0.017	337/3	0.260
322/3	0.018	338	0.628
322/4	0.053	339	0.761
323/1	0.420	340	0.364
323/2	0.421	341	0.628
323/3	0.421	342	0.020
323/4	1.263	343	0.547
324/1	0.041	344	0.797
324/2	0.040	345/1	0.264
324/3	0.040	245/2	0.129
325/1	0.223	345/3	0.129
325/2	0.223	346	0.445
325/3	0.220	347	0.243
325/4	0.040	348/1	0.100
327	0.825	348/2	0.244
328/2/1	0.160	349/क	0.008
328/2/2	0.164	349/ख	0.004
329/1	0.589	349/ग	0.004
329/2/1	0.114	350	0.101
329/2/2	0.106	351	0.032
331	0.081	352/क	0.046
332/1	0.586	352/ख	0.043
332/2	0.508	353	0.275
332/3	0.829	354	0.186
333	0.081	355	0.142
334/1	0.196	356	0.227
334/2	0.130	357/1	0.020
334/3	0.134	357/2	0.020
334/4	0.131	358	0.214
334/5	0.131	359	0.202
334/6	0.196		

(1)	(2)	(1)	(2)
360	0.388	398	0.154
361/क	0.056	399	0.902
361/ख	0.025	400	0.894
362	0.105	401	0.922
363/1	0.122	402	0.287
363/2	0.121	403	0.263
364	0.202	404	0.259
365	0.162	405	0.283
366	0.255	406	0.490
367	0.049	407	0.490
368	0.077	408	0.089
369	0.129	409	0.304
370/1	0.886	410	0.304
370/2	0.809	411	0.304
371	0.227	412	0.020
372	0.547	413	0.547
373	0.640	414	0.049
374/1	0.048	415	0.259
374/2	0.047	416	0.437
374/3	0.047	417	0.138
375	0.121	418	0.243
376	0.036	419/1	0.020
377	0.259	419/2	0.020
378	0.020	419/3	0.024
379	0.186	420/1	0.435
380	0.142	420/2	0.434
381	0.089	420/3	0.434
382	0.097	421/1	0.111
383	0.081	421/2	0.111
384	0.073	421/3	0.111
385	0.263	422/1	0.067
386	0.129	422/2	0.068
387	0.121	422/3	0.067
388	0.129	423/1	0.094
389	0.057	423/2	0.094
390	0.117	423/3	0.094
391	0.154	424/1	0.005
392	0.138	424/2	0.005
393	0.057	424/3	0.005
394	0.454	425/1	0.070
395	0.498	425/2	0.070
396/1	0.542	425/3	0.070
396/2	0.405	426/1	0.457
397	0.906	426/2	0.457

(1)	(2)	(1)	(2)
426/3	0.458	477/2/1	0.632
		477/2/2	0.632
427/1	0.117	477/2/3	0.631
427/2	0.118	477/3	1.896
428/1	0.886	478	2.193
428/2	0.887	484/1	0.218
429/1	0.332	484/2	0.217
430	0.521	484/3	0.217
431	0.332	485	0.567
432	0.684	486	0.255
434	0.579	487	0.061
435	0.255	492	0.328
436	0.316	494/1	0.049
437	0.802	495	0.551
438	0.174	496	1.108
439	0.073	497	1.255
440	0.324	498/1	2.600
441	0.445	498/2	0.260
442/1	0.097	498/3	0.261
442/2	0.048	499/1	0.400
442/3	0.049	501	0.425
443	0.121	505	0.405
444/1	0.016	506	0.845
444/2	0.008	508	0.841
444/3	0.012	509	0.032
445	0.049	510/1	0.019
447	0.040	510/2	0.019
448	0.032	510/3	0.019
449	0.032	511	0.971
454	0.239	512	0.146
455	0.073	513	0.445
457/1	0.016	514	0.101
457/2	0.012	515	0.219
457/3	0.012	516	0.344
458	0.158	517	0.121
459	0.405	519	0.356
468	0.530	520	0.129
469	0.372	521	0.089
470	1.092	522	0.036
471/1	0.777	523	0.283
471/2	1.012	524	0.053
471/3	0.809	525	0.069
471/4	0.809	526	0.105
472	0.202	527	0.101
477/1/1	0.947		

(1)	(2)	(1)	(2)
528	0.239	558	0.121
529	0.178	559	0.089
530	0.154	560	0.101
531	0.725	561	0.595
532	0.057	562	0.587
533	0.069	564	0.590
534	0.194	565	0.328
535	0.251	566	0.474
536	0.219	567	0.445
537	0.263	568	0.146
538	0.259	569	0.295
539	0.243	570	0.376
540	0.134	571	0.466
541	0.190	572	0.466
542	0.032	573	0.340
543/1	0.105	575/1	0.567
543/2	0.105	575/2/1	0.200
544/1	0.118	575/2/2	0.287
544/2	0.113	576	0.040
545/1	0.093	577/1	0.020
545/2	0.093	577/2	0.020
546/1	0.141	578/1	0.247
546/2	0.146	578/2	0.247
547/1	0.093	579	0.121
547/2	0.097	580	0.040
548/1	0.211	581	0.194
548/2	0.206	582	0.113
549	0.539	583/1	0.045
550/1	0.067	583/2	0.048
550/2	0.068	584/1	0.202
550/3	0.067	584/2	0.203
551/1	0.021	585	0.077
551/2	0.020	589/1	0.324
551/3	0.020	589/2	0.162
552/1	0.212	590	0.648
552/2	0.212	591	0.243
552/3	0.212	592	0.543
553/1	0.206	593	0.040
553/2	0.211	594/1/1	0.102
554/1	0.060	594/1/2	0.102
554/2	0.061	594/2	0.205
555	0.121	595	0.312
556	1.315	596	0.020
557	0.053	597	0.328
		598	0.081
		599/1	0.410

(1)	(2)	(1)	(2)
599/2	0.410	5	0.688
599/3	0.400	7	0.551
600/1/1	1.019	9	0.426
600/1/2	1.019	10	1.125
600/2/1	0.679	11	0.830
600/2/2	0.679	12	0.934
600/2/3	0.680	13	0.749
600/3	2.039	14	1.019
601	0.870	16	0.129
602/2	0.405	17	0.105
603	0.287	18	0.364
604	0.445	19	0.263
605	0.243	20	0.227
606	0.170	21	0.239
607	0.016	23	0.121
608	1.019	24	0.104
609	3.504	27	0.251
616	0.769	28	0.802
योग . . <u>246.572</u>		29/1	0.206

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।— बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु।
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण के भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—छतरपुर		31	0.178
(ख) तहसील—घुवारा		32/1/1	0.040
(ग) नगर/ग्राम—सरकना		32/1/2	0.039
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —237.643 हैक्टर।		32/1/3	0.039
ख. नं.	अर्जित रकमा (हे. में)	32/2/1	0.029
(1)	(2)	32/2/2	0.029
1	0.971	32/2/3	0.059
2	0.999	33/1/1/1	0.291
3	0.851	33/1/1/2	0.291
		33/1/2	0.582

(1)	(2)	(1)	(2)
33/1/3	0.582	57/1/1	0.393
33/2/1	0.436	57/1/2	0.600
33/2/2	0.873	57/1/3	0.607
33/2/3	0.437	57/1/4	0.405
37	0.761	57/3/1	0.177
38	0.652	57/3/2	0.960
39-क	0.461	57/6	0.198
39-ख	0.457	57/7/1	0.198
40	1.056	57/7/2	0.405
42/1	0.255	57/8	0.490
42/2	0.255	57/9	0.688
43	0.364	57/10	1.189
44/1	0.478	57/12	0.434
44/2	0.628	57/13	0.287
45/1	0.344	58/5	1.239
45/2	0.446	60	0.559
46	0.142	61/1	0.151
47	0.479	61/2	0.151
48/1	0.502	61/3	0.153
48/2	0.404	61/4	0.152
50/1	0.826	62	0.388
50/2	0.890	63	0.890
51	0.628	64	0.089
53/2/1	0.402	65	0.255
54/1	0.462	66	0.129
54/2/1	0.200	67	0.129
54/2/2	0.302	68	0.065
54/2/3	0.200	69	0.020
54/6	0.510	70	0.020
54/7	0.202	71	0.291
54/8	0.486	72	0.089
54/10	0.486	73	0.012
54/11	0.486	74	0.049
54/12/1	0.301	75	0.121
54/12/2	0.063	76	0.263
54/13/1	0.087	77	0.450
54/13/2	0.150	78	0.057
54/13/3/1	0.084	79	0.275
54/13/3/2	0.084	80	0.020
55/3/1/1	0.146	81	0.105
55/3/1/2	0.145	82	0.328
55/3/2/1	0.351	83	0.182
55/3/2/2	0.350	84	0.162
55/3/3	0.700	85	0.113

(1)	(2)	(1)	(2)
86	0.101	121/1	0.162
87	0.101	121/2	0.158
88	0.227	121/3	0.162
89	0.202	122/4	0.729
90	0.089	122/5/क/1/2	0.107
91	0.162	122/5/क/1/1	0.108
92	0.150	122/5/क/2	0.216
93	0.243	122/5/क/3	0.216
94	0.283	122/5/ख/1	0.162
95	0.291	122/5/ख/2	0.162
96	0.267	122/5/ख/3	0.323
97	0.312	122/6	0.809
98	0.324	122/7	1.708
99/1	0.235	122/9	2.262
99/2	0.081	123	0.405
100/1	0.182	124	0.704
100/2	0.182	125/1/1	0.110
101	0.142	125/1/2	0.109
102	0.287	125/2/1	0.076
103	0.134	125/2/2	0.077
104	0.113	125/3	0.219
105	0.089	126/1/1	0.070
106	0.587	126/1/2	0.071
107	0.426	126/2	0.140
108	0.422	127	0.223
109	0.583	128	0.656
110/1	0.256	129	0.097
110/2	0.256	130	0.376
110/3	0.256	131	0.870
110/4	0.256	132	0.045
111	0.422	133	0.101
112	0.513	134	0.036
113/1	0.044	135	0.138
113/2	0.043	136/1/1	0.075
113/3	0.043	136/1/2	0.075
114/4	0.044	136/2/1	0.040
115	0.089	136/2/2	0.040
116/1/1	0.184	136/3	0.150
116/1/2	0.553	137	0.081
116/2	0.308	138	0.142
116/3/1	0.542	139	0.121
116/3/2	1.959	140	0.166
117	0.421	141	0.129
120	0.405	142/1/1/2	0.061

(1)	(2)	(1)	(2)
142/1/1/2	0.061	161	0.057
142/1/2	0.122	162	0.154
142/1/3/1	0.060	163	0.093
142/1/3/2	0.060	164	0.053
142/2/1/2	0.070	165	0.138
142/2/2/1	0.091	166	0.154
142/2/2/2	0.090	168/1	0.255
142/2/3	0.181	168/2	0.764
143/1/1/1	0.060	169	0.146
143/1/1/2	0.059	170	0.154
143/1/2	0.193	171	0.091
143/1/3/2	0.097	172	0.223
143/1/3/1	0.097	173	0.085
144/1/1	0.062	174	0.089
144/1/2	0.062	175	0.081
144/2/1	0.065	176	0.089
144/2/2	0.065	177	0.113
144/3	0.130	178	0.154
145	0.154	179	0.356
146	0.081	180	0.194
147	0.061	181	0.364
148	0.870	182	0.008
149	0.384	183	0.194
150	0.405	184	0.105
151/1	0.219	185	0.061
151/2	0.239	186/1/1	0.047
151/3	0.219	186/1/2	0.089
151/4	0.198	186/2	0.089
151/5	0.220	187/2	0.777
151/6	0.220	188	0.089
152	0.134	191	0.178
153/1	0.106	192	0.121
153/2	0.319	193	0.878
154	0.020	194	0.458
155/1	0.122	195	0.134
155/2	0.364	196	0.134
156/1	0.066	197	0.474
156/2	0.197	198	0.809
157	0.073	199	0.583
158/1	0.114	200	0.178
158/2	0.344	201/1	0.397
159	0.012	201/2/क	0.186
160/1	0.136	201/2/ख	0.182
160/2	0.410	202	0.146

(1)	(2)	(1)	(2)
203	0.020	230/4	0.058
204	0.081	231/1	0.249
205	0.384	231/2	0.094
206	1.485	231/3	0.055
207/2	0.518	232/1	0.092
207/3	0.587	232/2	0.040
208/क	1.117	232/3	0.050
208/ख	1.176	234	0.093
209	0.162	237/1	0.081
210	0.291	237/2	0.040
211	0.021	237/3	0.041
212	0.246	238/1	0.100
213	0.170	238/2	0.100
214	0.162	238/3	0.100
215	0.065	238/4	0.100
216	0.223	238/5	0.199
217	0.142	239	0.364
220/2	0.162	240	0.020
220/3	0.142	241	0.049
220/4	0.142	242/1	0.506
220/6	1.902	242/2	0.506
220/7/1/1	0.374	243	0.040
220/7/1/2	0.124	244	0.182
220/7/1/3	0.125	245	0.061
220/7/1/4	0.125	246	0.081
220/7/2	0.142	247/1	0.098
222/1	0.415	247/2	0.185
222/2	0.415	250	0.125
223	0.142	251	0.170
224	0.446	252	0.146
225	0.243	252/2	0.278
226	0.652	253/1	0.277
227/1	0.589	255	0.037
227/2	0.026	256/1/1	0.122
228/1	0.150	256/1/2	0.121
228/2	0.250	256/1/3	0.121
228/3	0.050	256/2	0.116
229/1	0.125	256/3	0.116
229/2/1	0.233	256/4	0.133
229/2/2	0.100	257/12	0.435
229/2/3	0.100	257/9/1	0.150
230/1	0.166	257/9/2	0.050
230/2	0.040	257/9/3	0.040
230/3	0.058	257/14/क	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
257/16/1	0.200	294-ख	0.114
257/16/2	0.200	295	0.121
257/16/3	0.500	296	0.065
278/1	0.160	297	0.324
278/2	0.480	298	0.624
266	0.225	299	0.061
270	0.105	300	0.073
272/1	0.405	301	0.446
272/2	0.347	302	0.749
273/1	0.405	303/2/1	0.083
277/2/1	0.239	303/2/2	0.083
277/2/2	0.120	303/2/3	0.083
277/2/3	0.120	303/2/4	0.083
277/2/4	0.238	306	0.154
277/3	0.324	307	0.129
279	0.550	313/2	0.405
280	0.271	314/1	0.200
282/1	0.344	315/1	0.200
282/2	0.344	317/1	0.345
283/1	0.165	317/2/3	0.648
283/2	0.248	317/2/4	0.645
283/3	0.077	317/2/5	0.100
284/1	0.064	318/1	0.142
284/2	0.065	318/2	0.668
285/1	0.129	319	0.316
285/2	0.235	320/1/1	0.034
286/1	0.020	320/2/1	0.038
286/2	0.020	320/2/2	0.038
286/3	0.020	320/2/3	0.035
286/4	0.021	320/2/4	0.039
287-क	0.170	320/3	0.081
287-ख	0.059	320/3/2	0.035
288-क	0.129	321/1/1	0.150
288-ख	0.061	321/1/2	0.149
289-क	0.190	321/2	0.300
289-ख	0.109	322/1	0.400
290-क	0.105	324	0.170
290-ख	0.053	325	0.267
291-क	0.231	326	0.032
291-ख	0.227	327	0.065
292	0.555	328	0.223
293-क	0.089	329/1	0.336
293-ख	0.089	329/2	0.077
294-क	0.114	330	0.182

(1)	(2)	(1)	(2)
331	0.081	356	0.166
332/1/1	0.138	357/1	0.033
332/1/2	0.036	357/2	0.033
332/2/1	0.089	357/3	0.034
332/2/2	0.089	358	0.109
332/2/3	0.089	359	0.384
332/2/4	0.089	360/1/1	0.022
332/3	0.356	360/1/2	0.023
333/1	0.085	360/3	0.012
333/2	0.085	357/4	0.034
335	0.308	360/2	0.049
336/1	0.039	360/4	0.072
336/2	0.038	360/5	0.013
337	0.008	360/6	0.011
338	0.227	362	0.162
339/1	0.146	363/2/1	0.162
339/2	0.145	363/2/2	0.219
340/1	0.423	363/2/3	0.145
340/2	0.423	364/1	0.105
341	0.979	364/2	0.105
343	0.093	365	0.028
346	0.024	366/1	0.186
347	0.020	366/2	0.186
348/1	0.061	367/1	0.101
348/2	0.060	367/2	0.101
349	0.041	368	0.105
350/1	0.016	369	0.057
350/2	0.017	370	0.053
351/1	0.030	371	0.065
351/2	0.010	372	0.065
352	0.032	373/1/2	0.009
353/1/1	0.045	373/1/2	0.009
353/1/2	0.045	373/2/1	0.010
353/2	0.384	373/2/2	0.009
353/3	0.053	373/3	0.019
354	0.219	374	0.040
355/1/1	0.012	375	0.446
355/1/2	0.012	376	0.202
355/3	0.006	377	0.190
355/4	0.060	378	0.210
353/4	0.060	379	0.194
355/2	0.025	380	0.041
355/5	0.006	381	0.065
355/6	0.006	382	0.352

(1)	(2)	(1)	(2)
383	0.405	427/2/2	0.202
384	0894	427/3/2	0.203
385	0.320	427/3/4	0.202
386	0.380	428/1	0.186
387	0.704	428/2	0.186
389	0.324	428/3	0.186
390	0.251	428/4	0.187
391	0.446	429/1	0.140
392	0.020	430	0.250
393	0.109	434/1	0.600
394	0.446	434/2	0.100
395.	0.263	435/2	0.400
396	0.263	435/3	0.207
397	0.413	435/4	0.200
398	0.263	436	0.745
399	0.105	437	0.081
400	0.105	438	0.077
401	0.049	439	0.032
402	0.049	440	0.543
403	0.154	441	0.061
404	0.129	442	1.108
405	1.165	443	0.040
406	0.384	444	0.275
407	0.475	445	0.040
408	0.012	446/1	0.191
409	0.283	446/2	0.191
410	0.142	446/3	0.096
411/1	0.071	447	0.004
411/2	0.071	448/1	0.353
412/1	0.469	448/2	0.353
412/2	0.469	448/3	0.177
413	0.769	449/1	0.038
414	1.574	449/2	0.039
415/1	0.350	450	0.146
416	0.454	451/1	0.152
419/3	0.263	451/2	0.151
419/4	0.383	451/3	0.151
420	0.113	452/1	0.009
421	0.308	452/2	0.010
422	0.263	452/3	0.009
423	0.121	453/1	0.014
425	0.121	453/2	0.014
427/1	0.648	453/3	0.013
427/2/1	0.202	454	0.000

(1)	(2)	(1)	(2)
455/1	0.327	505/1	0.080
455/2	0.419	505/2	0.476
455/3	0.419	516	0.053
477	0.154	961	1.886
482/2	0.129	962/1/1	0.364
487	0.016	962/1/2	0.364
455/1	0.327	962/2	0.918
455/2	0.419	973	0.100
455/3	0.419	974	0.100
471	0.109	975	0.194
476/1	0.098	976/1/अ	0.032
476/2	0.048	976/1/ब	0.226
475	0.089	976/1/ख	0.227
479	0.081	976/2/क	0.032
480	0.069	977/1	0.067
481/1	0.071	977/2	0.067
481/2	0.071	978	0.121
482/1	0.259	979/1	0.061
483/1	0.113	979/2	0.061
483/2	0.114	980	0.129
484	0.105	981/1	0.118
485/1	0.051	981/2	0.116
485/2	0.050	982	0.162
486	0.049	983	0.138
488	0.057	984/1	0.081
489	0.061	984/2	0.081
490	0.400	985/1	0.141
491/1	0.077	985/2	0.142
491/2	0.077	986/1	0.109
492	0.324	986/2	0.109
493	0.080	987	0.591
496/1	0.040	988/1	0.375
496/2	0.040	988/2	0.362
497	0.049	1001	0.753
498	0.049	1002	0.142
499/1	0.053	1003	0.757
499/2	0.052	1004	0.405
500	0.340	1005/1	0.020
501	0.017	1005/2	0.020
502	0.065	1006/1	0.027
503/1	0.026	1006/2	0.026
503/2	0.028	1007/1	0.809
504/1	0.069	1007/2	0.283
504/2	0.069	1008/1	0.324

(1)	(2)	(1)	(2)
1008/2	0.324	1035/1	0.101
1008/3	0.134	1035/2	0.101
1008/4	0.134	1036	0.239
1008/5	1.148	1037	0.057
1009/1/1	0.237	1038	0.223
1009/1/2	0.371	1039/1	0.693
1009/2	1.084	1039/2	0.396
1009/3/1	0.607	1039/3	0.396
1009/4	1.015	1040	0.049
1010/1	0.488	1041/1	0.152
1010/2	0.245	1041/2	0.082
1010/3	0.246	1041/3	0.082
1011	0.170	1042/1	0.213
1012	0.065	1042/2	0.106
1013	0.324	1042/3	0.106
1014	0.506	1043	0.150
1015	0.328	1044	0.057
1016/1	0.154	1045	0.121
1016/2	0.154	1046	0.020
1017	0.045	1047	0.081
1018	0.121	1048	0.129
1019/1	0.118	1049	0.138
1019/2	0.117	1050	0.162
1020/1	0.154	1051	0.150
1020/2	0.154	1052	0.061
1021	0.295	1053	0.061
1022	0.081	1054	0.041
1023	0.227	1055	0.040
1024	0.069	1056	0.146
1025/1	0.036	1057	0.121
1025/2	0.037	1058	0.073
1026	0.134	1059	0.032
1027/1	0.042	1060	0.045
1027/2	0.043	1061	0.170
1028/1	0.086	1062	0.162
1028/2	0.081	1063	0.283
1029/1	0.045	1064	0.081
1029/2	0.045	1065	0.065
1030/1	0.045	1066/1	0.124
1030/2	0.045	1067	0.101
1032	0.162	1068	0.113
1033	0.162	1069	0.141
1034/1	0.073	1070	0.142
1034/2	0.073	1071	0.231

(1)	(2)	(1)	(2)
1072	0.121	1097	1.032
1073	0.450	1098/1/1/1	0.103
1074	0.081	1098/1/1/2	0.103
1075	0.182	1098/2/1	0.154
1076	0.057	1098/2/2	0.154
1077	0.049	1098/1/2	0.206
1078	0.057	1098/1/3	0.206
1079	0.069	1098/2/3	0.309
1080	0.061	1099/1/क/1/1	0.194
1081	0.041	1099/1/क/1/2	0.194
1082	0.049	1099/1/ख/1	0.291
1083	0.012	1099/1/ख/2	0.291
1084	0.426	1099/1/ख/3	0.582
1085	0.624	1099/2	0.575
1086	0.138	1099/1/क/2	0.388
1087	0.138	1099/1/क/3	0.388
1088	0.672	1099/5/क/2	0.267
1089	0.676	1099/5/क/3	0.266
1090	0.012	1099/5/क/4	0.090
1091	0.547	1099/5/क/1/1	0.133
1092	0.162	1099/5/क/1/2	0.133
1093	0.061	1099/5/ख/1	0.099
1094	1.283	1099/5/ख/2	0.099
1096/4/क/1/1	0.016	1099/5/ख/3	0.198
1096/4/क/1/2	0.014	1101/1	0.567
1096/4/क/2	0.029	1101/2	0.611
1096/4/क/3	0.020	1102	1.339
1096/4/ख	0.089	1103/1	0.392
1096/5/क/1	0.073	1103/2	0.393
1096/5/क/2	0.073	1104	0.462
1096/5/क/3	0.073	1105	1.145
1096/5/ख	0.219	1106/1	0.809
1096/6/क/1	0.041	1109	0.680
1096/6/क/2	0.040	1112	1.291
1096/6/क/3	0.040	1115	0.470
1096/6/ख/1	0.105	1116/1	0.400
1096/6/ख/2	0.017	1120	0.656
1096/7/1	0.068	1121	0.789
1096/7/2	0.067	1122	1.477
1096/7/3	0.067	1123	1.821
1096/8/क/1	0.033	1124/1125	0.445
1096/8/क/2	0.034	1126/1/1	0.682
1096/8/ख/1	0.046	1126/1/2	0.682
1096/8/ख/2	0.028	1126/2/1	0.405
1096/8/क/3	0.034	1126/2/2	0.405
1096/8/क/3	0.027	1129/1	0.201

(1)	(2)	(1)	(2)
1129/2	0.200	3438/3 मेसे	0.009
1130/1	0.200	3438/3 मेसे	0.009
1131/1	2.016	3438/3	0.009
1131/2/1	0.400	3438/3	0.009
1132	0.575	3438/3	0.009
1136/1	0.777	3438/3	0.009
1136/2	0.263	3438/2/1	0.009
1136/4	0.575	3438/2/1	0.009
1136/5	0.583	3438/2/1	0.009
1137/1	0.100	3438/2/1	0.009
1137/2/1	0.800	3438/2/1	0.009
1137/2/2/1	0.300	3438/2/1	0.009
1137/2/2/2	0.400	3438/2/1	0.009
1163	0.239	3438/2/1	0.009
1164/1	0.253	3438/2/1	0.009
1164/2	0.253	3438/2/1	0.018
1165/1	0.118	3438/2/1	0.009
1165/2	0.118	3438/2/1	0.009
1166/2	0.214	3438/11/3	0.009
योग . .	<u>237.643</u>	3438/2/19	0.009

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बांन सुजारा बांध योजना के भराव में अर्जित भूमि के भराव क्षेत्र हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 10-अ-82-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—छतरपुर
- (ग) नगर/ग्राम—छतरपुर (पूरक)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —0.557 हैक्टर।

ख. नं.

अर्जित रकमा
(है. में)

(1)

(2)

3438/3 मेसे

3451/1/9	0.009
3451/1/1	0.009
3456/1/2/3	0.009
3456/1/2/6	0.009
3457/1/5/2	0.009
3438/2/15	0.009
3800	0.035
3802	0.090
3799	0.040
3797/1/1	0.105
3797/2/1	0.030
3797/2/2	0.002
3797/2/3	0.003
योग . .	<u>0.557</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सिंगरौली (खजुराहो) नई बड़ी रेल लाइन निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छत्तरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

प्र.क्र. 23-अ 82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
 (ख) तहसील—लवकुशनगर
 (ग) ग्राम—रेखा,
 (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.808 हेक्टर

खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
455	0.022
456,457,462	0.125
430	0.010
425,428/2	0.154
421	0.172
312	0.010
319/1	0.025
57/1	0.015
466	0.010
464,465	0.175
72	0.090
योग	0.808

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(3) भूमि के नक्शों ('प्लान') का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्रक्र. 25-अ 82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
 (ख) तहसील—लवकुशनगर
 (ग) ग्राम—देवीखेड़ा,
 (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.090 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकम (हेक्टर में)
(1)	(2)
15	0.005
62	0.010
207/1	0.070
297	0.005
योग	0.090

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगढ़ में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 26-अ 82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छत्तीसगढ़
 (ख) तहसील—लवकुशनगर
 (ग) ग्राम—पट्टी,
 (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.458 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
204/1	0.320
204/3	0.020
201	0.014
192	0.044
204/2	0.060
योग	0.458

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 28-अ 82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—लवकुशनगर
- (ग) ग्राम—गिरधोरी,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.450 हेक्टर।

खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
327/2/1	0.060
327/2/2	0.060
327/2/3	0.060
367/1	0.090
367/2	0.180
योग . .	<u>0.450</u>

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत गिरधोरी शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 29-अ- 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—लवकुशनगर
- (ग) ग्राम—पीरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.045 हेक्टर।

खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2406	0.045
योग . .	<u>0.045</u>

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 30-अ 82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—लवकुशनगर
- (ग) ग्राम—हंसपुरा,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.380 हेक्टर।

खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
219	0.270
585	0.020
586	0.005
587	0.030
588	0.015
589	0.040
योग . .	<u>0.380</u>

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा एवं मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

पत्र क्र. 1359-भू-अर्जन-पथरिया-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—बटियागढ़
- (ग) नगर/ग्राम—पौँडी, नयागांव, डुंगरूपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—20.13 हेक्टेयर.

ग्राम-पौँडी

खसरा क्रमांक	अर्जित रकमा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	
5 में से		1.33		
6 में से		0.47		
7 में से		0.30		
9/1 में से		0.17		
9/2 में से		0.16		
9/3 में से		0.16		
10 में से		0.20		
11/1 में से		0.96		
11/2 में से		0.40		
13/1 में से		1.68		
13/2 में से		0.60		
14 में से		1.10		
15 में से		0.30		
20 में से		0.59		
21 में से		0.35		
46 में से		0.80		
योग . .		9.57		

ग्राम-नयागांव

2 में से	1.60		
3 में से	0.67		
8/1 में से	0.20		
8/2 में से	0.72		
योग . .		0.63	
कुल योग . .		20.13	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता

	(1)	(2)
8/3 में से	0.06	
8/4 में से	0.48	
8/5 में से	0.08	
8/6 में से	0.42	
8/7 में से	0.20	
8/8 में से	0.41	
9/1 में से	0.61	
9/2 में से	0.61	
9/3 में से	0.60	
10 में से	0.39	
11/1 में से	0.14	
11/2 में से	0.13	
11/3 में से	0.13	
26/1 में से	0.05	
12/1 में से	0.25	
12/2 में से	0.04	
24/3 में से	0.15	
42 में से	0.40	
43/1 में से	0.18	
53/1 में से	0.09	
53/2 में से	0.18	
61/1 में से	0.03	
61/2 में से	0.05	
61/3 में से	0.09	
63 में से	0.15	
69/1, 2 में से	0.12	
95 में से	0.12	
94 में से	0.10	
93 में से	0.12	
108/1 में से	0.15	
108/2 में से	0.05	
114/2 में से	0.16	
योग . .	9.93	

ग्राम-डुंगरूपुरा

61 में से	0.13
64/1 में से	0.08
64/2 में से	0.04
65/1 में से	0.07
65/2 में से	0.03
75/2 में से	0.03
75/1 में से	0.15
43/1 में से	0.10

योग . .	0.63
कुल योग . .	20.13

है—भिलौनी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर में आने वाली भूमि हेतु।

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

पत्र क्र. 1360-भू-अर्जन-पथरिया-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू. एल. तक डूब में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम—चौपरा, नंदरई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.23 हेक्टेयर।

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/3 में से 176 में से	0.10 0.13
योग . .	<u>0.23</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—चौपरा जलाशय योजना के स्पिल चैनल एवं नहर में आने वाली शेष भूमि हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 3 दिसम्बर 2013

क्र. 10412-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू. एल. तक डूब में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
- (ख) तहसील—ब्यावरा
- (ग) ग्राम—कुशलपुरा, तालुड़ी, सुवांहेड़ी, नलखेड़ा एवं पगारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—90.102 हेक्टेयर।

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
-----------	----------------------

ग्राम—कुशलपुरा	(1)	(2)
28 में से		0.372
32/1/1		0.330
33		0.126
35/1		0.275
34/1		0.070
34/2		0.273
48/1		0.225
49/1		0.584
51/1		0.152
51/2		0.179
51/3		0.152
51/4		0.152
52/1		0.528
53		0.138
90 में से		0.960
91 में से		0.257
92 में से		0.492
106 में से		0.026

(1)	(2)	(1)	(2)
107 में से	0.177	725/1	0.126
110 में से	0.117	719	0.038
111 में से	0.295	715	0.150
114 में से	0.130	716	0.506
115 में से	2.048	708	0.063
118 में से	0.900	709	0.099
119	0.050	706/1	0.226
120	0.190	674	0.291
121/1	0.028	675	0.125
योग . .	<u>9.226</u>	योग . .	<u>10.374</u>

ग्राम-तालूड़ी

965/2/1	0.100	13	0.051
955/1/30	0.030	24	0.125
955/1/31	0.032	36	0.090
955/1/32	0.013	14/1	0.089
955/1/33	0.300	14/2	0.013
955/1/25	0.100	15	0.139
955/1/26	0.140	17/2	0.345
947/38	0.130	22/1	0.534
947/9	0.168	22/2	0.260
945/2	0.911	19	0.115
944	0.486	76/6/1	0.064
725/2	0.126	21/1/1	0.074
940/2	0.200	21/1/2	0.060
940/1	0.200	21/2	0.068
717	0.051	23/1	0.253
718	0.038	23/2/1	0.316
720	1.012	23/2/2	0.253
722	0.873	23/2/3	0.253
714	0.152	23/2/4	0.506
706/2	0.581	40 में से	0.016
707	0.025	51/1	0.132
955 में से	0.300	255/63/1	0.010
947/29	0.115	65 में से	0.126
947/40	0.128	74/1/1	0.173
947/41	0.115	76/4/1 में से	0.407
947/43	0.240	76/4/2	0.070
947/37	0.230	76/7	0.157
915	0.598	76/11/1	0.956
912/1	1.356	194/1/1/3/6	2.000

(1)	(2)	(1)	(2)
194/1/1/4	0.733	247	0.493
194/1/2/3	0.987	246	0.266
194/1/3/8	0.085	248	0.316
194/1/2/4	2.000	86/1/2	0.506
194/1/3/4	2.000	86/2	0.190
194/1/3/5	2.000	86/3	0.215
194/7	0.500	89/1	0.114
74/2/1	0.085	89/2	0.101
योग . .	<u>16.045</u>	89/3	0.101
		110	0.379
ग्राम-नलखेड़ा			
2/1/2	1.101	111/1	0.089
86/1/3/3	0.100	111/2	0.089
2/1/3	1.503	264/1	0.100
2/1/4	2.529	264/2	0.100
2/1/5	1.106	231	0.519
253/2	0.024	232/1	0.171
2/4	1.012	232/2	0.171
2/5	0.379	250/1	0.386
2/6	1.012	251/1	0.186
2/7	0.500	252/1	0.405
86/1/1	0.253	234	0.316
111/3	0.089	236	0.038
113	0.114	237	0.051
250/2	0.386	2/1/7/2	3.869
251/2	0.093	249/1	0.367
252/2	0.150	249/2	0.367
114/1	0.038	253/1	0.070
114/2	0.038	253/3	0.024
115	0.089	253/4	0.118
116 में से	0.240	253/5	0.118
229/1	1.012	254/2	0.037
229/2	0.306	254/3	0.125
238	0.076	254/4	0.519
239	0.025	264/1	0.100
240	0.215	योग . .	<u>24.786</u>
241	0.076	ग्राम-पगारा	
245	0.089	72	0.038
242	0.215	319	0.101
244	0.405	321/1	0.126
243	0.595	493	0.974
		342/1	0.139

(1)	(2)	(1)	(2)
353	0.177	316	0.164
73	0.569	317	0.139
74	0.228	336	0.291
75/1	0.189	318	0.139
76/2	0.031	337	0.291
297/1	0.158	321/3	0.064
75/2	0.190	338/3/2	0.063
76/1	0.032	361/2/2	0.054
297/2	0.158	322	0.278
77/1/1	0.057	323	0.468
296/1	0.183	334/2	0.645
300/2/2	0.459	90 में से	0.519
77/1/2	0.057	291	0.263
296/2	0.133	292/3/1	0.017
300/2/4	0.253	292/1	0.033
361/2/1	0.054	320/1	0.113
361/2/1	0.054	321/2	0.114
293	0.215	338/1	0.253
340	0.215	292/2	0.034
294	0.444	300/3	0.484
239/1	0.632	300/4	0.506
300/1/1	2.529	361/2	0.056
302/3	0.253	320/2	0.051
304/2	0.177	338/2	0.126
332/2	0.158	292/3/2	0.017
321/4	0.064	320/3	0.051
311/2	0.076	338/3/1	0.063
307/2	0.120	511/1/2	0.505
310/2	0.089	304/1	0.177
300/1/2	0.734	307/1	0.120
308	0.101	310/1	0.088
309	0.417	311/1	0.076
300/1/3	0.819	332/1	0.158
300/2	1.770	305/1	0.139
303	0.152	329/3	0.105
511/2/1	0.169	305/2	0.059
306	0.152	330/1	0.106
327	0.607	305/3	0.059
312	0.139	330/2	0.105
313/2	0.101	305/4	0.059
329/2	0.105	330/3	0.105
314	0.354	305/5	0.038
341	0.202	313/1	0.051
315	0.177	329/1	0.106

(1)	(2)	(ग) ग्राम—पलोह, प.ह.नं. 7 (घ) लगभग क्षेत्रफल—78.37 हेक्टेयर.	खसरा नंबर अर्जित रकबा (हेक्टर में)
511/1/2	1.607		
333	0.329		
504	0.557		
334/1/1	0.329	(1)	(2)
511/1/1/3	0.500	6/1	0.03
335	0.468	17	0.24
352	0.152	97	0.03
339/2	0.253	118	0.06
342/2	0.139	37/1	1.00
331	0.329	7	0.08
343/1	0.022	16/2	0.90
351/1	0.013	24/2	0.40
343/2	0.079	8/1	0.55
351/2	0.012	11	0.01
474	0.531	23	0.25
334/1/2	0.329	30	0.73
511/1/1	0.504	57	0.08
533	<u>0.835</u>	8/2	0.60
योग . .	<u>29.671</u>	12	0.05
महायोग . .	<u>90.102</u>		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू.एल. तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु.		9	0.51
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.		10	0.21
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		13	0.17
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		24/1	0.38
सागर, दिनांक 2 दिसम्बर 2013		36	0.40
प्र. क्र. 12147-भू.—अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		46	0.08
अनुसूची		51	0.13
(1) भूमि का वर्णन—		56	0.01
(क) जिला—सागर		197	0.06
(ख) तहसील—केसली		199	0.08
		372	0.10
		14/1	0.85
		14/2	0.60
		27	0.70
		152/1	0.02
		156/1	0.15
		15/1	0.22
		18/1	0.05
		90	0.05
		172/1	0.42
		179/1	1.29
		383/1	0.07
		15/2	0.34
		18/2	0.04
		172/2	0.42

(1)	(2)	(1)	(2)
179/2	1.30	49/2	0.04
180/2	0.30	89/1	0.14
383/2	0.08	174/2	1.00
15/3	0.13	191	0.30
18/3	0.04	193/3	0.30
15/4	0.25	35	0.04
16/1	0.10	47	0.07
16/3	0.24	37/2	1.00
18/4	0.04	38	0.04
19	0.03	42/3	0.02
393	0.57	163	0.13
397	2.99	164	0.47
20	1.29	165	0.13
21	0.44	167	0.22
26	0.35	174/4	0.50
42/2	0.02	188	0.04
174/1	0.50	193/5	0.30
177	0.17	365	0.13
193/2	0.30	411/17	0.80
378/3	0.22	40	0.64
411/18	0.54	41	0.07
22	0.25	119	0.05
88	0.07	53/2	0.04
24/3	0.78	193/1	0.30
25	0.93	378/2	0.22
32	0.21	44	0.47
34/1	0.65	45	0.71
49/1	0.03	53/1	0.02
50	0.10	54/1	0.03
86	0.03	58	0.01
107	0.03	60/423	0.01
120	0.20	89/2	0.10
160	0.36	174/3	0.61
173	2.75	193/4	0.30
175	0.84	378/4	0.16
186	0.20	91	0.04
190	0.13	92	0.04
192	0.10	386	0.20
194	0.88	390	1.25
373	0.01	93	0.02
28	0.37	389	1.25
29	0.13	401	0.50
385	1.07	96	0.06
33	0.19	195	0.08
34/2	0.65	366	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
98	0.03	411/10	0.60
123	0.04	411/11	1.10
124	0.02	411/12	0.65
152/2	0.02	411/19	0.40
156/2	0.05	योग . .	<u>78.37</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना के बांध एवं ढूब क्षेत्र हेतु अंतर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 केसली सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसली के कार्यालय में किया जा सकता है।

सागर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्र.-क-12243-भू-अर्जन-2013 प्र. क्र.-12-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—सागर			
(ख) तहसील—बंडा			
(ग) ग्राम—पगरा			
(घ) क्षेत्रफल—31.97 हेक्टेयर.			
खसरा		अर्जित रकमा	
नंबर		(हेक्टर में)	
(1)		(2)	
114		0.550	
115		0.230	
116		0.120	
117		1.920	
119		0.900	
130		0.070	
134		0.170	
135		0.050	
136		0.030	
277		0.370	
278/1		0.180	

(1)	(2)	(1)	(2)
278/2क	0.010	389/2	0.500
278/2ख	0.040	389/3	0.720
278/3	0.190	389/4	0.640
279	0.250	389/5	0.430
280	0.020	389/6	0.640
294	0.010	योग . .	<u>31.97</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में ढूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र.-क-12244-भू-अर्जन-2013 प्र. क्र.-13-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—बंडा
- (ग) ग्राम—चन्द्रपुरा
- (घ) क्षेत्रफल—215.410 हेक्टेयर.

		खसरा	अर्जित रकमा
		नंबर	(हेक्टर में)
		(1)	(2)
378	0.020	12	0.100
379	0.550	13	1.190
383	0.040	15/1	0.530
384/1	0.120	15/2	0.440
384/2	0.360	16/1	0.060
384/3	0.570	16/2	0.450
384/4	0.340	17/1	0.400
385	1.170	17/2	0.340
386	0.880	18/1	0.120
387	1.960	18/2	0.460
388/1	0.060	19	0.930
388/2	0.160		
388/3	0.290		
389/1	0.710		

(1)	(2)	(1)	(2)
20	1.350	52	1.010
21	0.680	54	0.300
22	0.750	56	0.460
23/1	0.730	57	0.160
23/2	0.360	58	1.120
23/3	0.370	59/1	0.530
24/1	0.260	59/2	0.800
24/2	0.210	60	2.600
24/3	0.540	61/1	1.350
25	0.660	61/2	1.650
26	0.050	62/1	0.230
27	0.640	62/2	0.200
28	0.750	62/3	1.250
29/1	0.120	63/1	0.480
29/2	0.230	63/2	0.540
30	0.470	63/3	0.710
31	0.170	64/1	0.530
32/1	0.400	64/2	0.470
32/2	0.950	65	0.190
32/3	0.910	66	0.350
33/1	2.280	68	0.420
33/2	1.310	69	1.500
34	1.000	70	0.250
35	0.970	71	0.110
36	0.100	72	1.050
37	0.660	73	1.990
38/1	0.450	74	0.840
38/2	0.150	75/1	0.270
39	1.210	75/2	1.000
40	1.450	75/3	1.200
41	0.550	75/4	2.400
42	0.800	76	1.050
43	1.830	77	0.910
44	0.790	78	0.450
45/1	0.150	79	0.640
45/2	0.150	80	0.560
46/1	0.230	81/1	0.300
46/2	0.230	81/2	0.160
47/1	0.760	82/1	0.140
47/2	1.000	82/2	0.140
48	0.280	83/1	0.330
49	0.860	83/2	0.280
50	3.010	84/1	1.000
51	1.460	84/2	0.370

(1)	(2)	(1)	(2)
85	0.52	143/2	0.330
86/1	0.410	147	0.210
86/2	0.990	148	0.170
86/3	0.400	150/1	1.00
87/1	0.700	150/2	0.480
87/2	0.220	151	0.340
87/3	0.400	152	0.070
87/4	0.110	153	0.060
87/408	1.000	153/402	0.010
87/5	0.230	156	1.510
88	0.150	157/1	0.530
89/1	0.120	157/2	0.540
89/2	0.450	158	0.350
89/3	0.450	159	0.240
90	0.500	160/1	1.300
91	1.160	160/2	0.440
92	0.170	160/407	0.860
93/1क	0.100	161/1	2.040
93/1ख	0.280	161/2	0.400
93/2	0.400	162	1.390
94	0.110	163/1	0.680
95/1	0.600	163/2	0.240
95/2	0.510	163/406	0.400
96	0.100	164/400	0.350
98	0.150	165	1.740
99	0.680	166/1	0.660
100	0.730	166/2	0.130
101	0.050	167	1.010
104	0.110	168/1	0.340
105	0.130	168/2	0.340
110	0.020	169/1	0.470
113	0.060	169/2	0.480
114	0.010	170	0.320
115/1	0.050	171/1	0.420
115/2	0.090	171/2	0.210
118/1	0.050	171/3	0.220
118/2	0.050	172/1	0.230
119	0.120	172/2	0.110
128	0.030	172/3	0.110
129	0.040	173/1	0.230
131	0.050	173/2	0.120
132	0.020	173/3	0.120
134	0.080	174	0.540
136	0.060	175	1.530
143/1	0.330	176/1	0.500

(1)	(2)	(1)	(2)
176/2	0.500	207/1	0.120
177	0.850	207/2	0.020
178	0.11	208	0.390
179	0.050	209	0.030
180/1	0.030	210/1	0.040
180/2	0.020	210/2	0.050
181/1	2.710	210/3	0.050
181/2	1.920	210/4	0.050
184/1	1.000	211/1	0.130
184/2	0.450	211/2	0.110
184/3	0.560	211/3	0.110
186	0.180	211/4	0.120
187/1	0.500	212/1	0.690
187/2	0.500	212/2	0.700
188	0.400	213/1	0.230
189	0.210	213/2	0.240
190	0.600	213/3	0.260
191/1	0.320	213/4	0.230
191/2	0.400	214/1	0.060
192	0.540	214/2	0.520
193/1	0.790	214/3	0.130
193/2	0.700	215/1-2	0.520
194	0.410	216/1-2	0.500
195	0.810	217	1.050
196/1	0.330	219	0.490
196/2	0.120	220/1	0.350
197/1	0.280	220/2	0.220
197/2	0.180	220/3	0.360
197/3	0.180	221	1.800
197/4	0.180	224	0.650
197/5	0.180	225/1	0.020
198/1	0.340	225/2	0.160
198/2	0.330	226	0.510
199/1	0.140	227/1	0.300
199/2	0.140	227/2	0.610
200	0.330	228	0.330
201/1	0.060	229	0.650
201/2	0.070	230	0.250
203/1	0.180	231/1	0.560
203/2	0.180	231/2	0.400
205	0.370	232/1	0.300
206/1	0.130	232/2	0.090
206/2	0.120	232/3	0.710
206/3	0.120	233	0.950

(1)	(2)	(1)	(2)
233/396/1	0.740	266/2	0.480
233/396/2	0.710	267/1	0.460
234/1	2.180	267/2	0.450
234/2	0.810	268/1	0.180
235	0.100	268/2	0.180
236	0.920	269	0.240
237	1.000	270	0.160
238	0.350	272/1	0.060
239	0.390	272/2	0.020
240	0.600	272/3	0.010
241	1.020	272/4	0.020
242	0.220	272/5	0.010
243	0.200	273/1	0.120
244	0.100	273/2	0.120
245	0.110	273/3	0.120
246/1	0.230	273/4	0.120
246/2	0.500	274/1	0.020
247	0.620	274/2	0.110
248	0.640	275	0.110
249	0.350	276/1	0.110
250	0.080	276/2	0.240
251	0.800	276/3	0.110
252	0.210	277	1.030
253	0.190	278	1.870
254	0.490	279	0.620
255	1.120	280	0.830
256	1.320	281	0.460
257/1	0.120	282	0.560
257/2	0.600	283	0.820
258	0.040	284/1	0.680
259/1	0.140	284/2	0.130
259/2	0.140	285/1	0.470
260/1	0.310	285/2	0.470
260/2	0.310	286	0.280
261	1.010	287	0.470
262	0.400	288	0.740
263/1क	0.110	289/1	0.050
263/1ख	0.200	289/2	0.050
263/2	0.200	290	0.210
264/1	0.530	291/1	0.080
264/2	0.530	291/2	0.020
265/1क	0.170	292	0.110
265/1ख	0.200	293	0.260
265/2	0.200	294	0.750
266/1	0.490	295	0.120

(1)	(2)	(1)	(2)
296	0.140	339/1	0.110
297	0.380	339/2	0.110
298	0.540	340	0.200
299	0.080	343	0.830
300/1	0.310	344	0.820
300/2	0.050	345	1.210
302	0.130	346	0.230
303	0.070	347	0.220
304	0.130	348	0.260
305	0.060	350	0.070
306	0.770	351/1	0.130
307	0.080	351/2	0.120
308	0.050	352	0.240
309	0.060	353	0.130
310/1	0.030	354	0.160
310/2	0.010	357	0.120
310/3	0.030	358	0.170
311/1	0.020	361	0.020
311/2	0.080	362	0.010
311/3	0.010	363	0.010
312/1	0.030	364	2.420
312/2	0.030	365	2.260
312/3	0.010	366	1.490
312/4	0.030	367	0.870
313	0.010	368	0.730
315/1	0.170	369	0.280
315/2	0.130	370	0.050
315/405/1	0.030	371	0.300
315/405/2	0.090	372	0.150
316	0.410	373	1.020
317	0.030	374	0.920
319/1/1	0.660	375	1.080
319/1/2	0.400	376	1.010
319/2	0.040	378	0.480
320/1	0.400	380/1	0.380
320/2	0.110	380/2	0.370
321	0.040	380/3	0.370
323	0.070	381/1	0.210
326	0.320	381/2	0.210
327	0.030	381/3	0.210
333	0.100	381/399/1	0.340
334	0.240	381/399/2	0.330
335	0.160	381/399/3	0.330
338	1.620	382/1	0.150

(1)	(2)	(ग) ग्राम—बमाना (घ) क्षेत्रफल—268.419 हेक्टेयर.
382/2	0.150	खसरा अर्जित रकमा (हेक्टर में)
382/3	0.150	नंबर (2)
383	0.410	2/1 0.259
384	0.570	2/2 0.200
388/1	0.660	2/3 0.310
388/2	0.270	2/4 0.650
388/3	0.660	2/5 0.640
389	0.280	2/6 0.340
390/1	0.550	3 0.980
390/2	0.550	4 0.400
391	0.900	5 1.030
392/1	0.080	6 0.210
392/2	0.200	7 0.610
394/1	0.950	8 1.650
394/2	0.630	9 1.230
394/3क	0.320	10/1 0.760
394/3ख	0.320	10/2 0.400
394/4	0.640	10/3 0.770
394/5	0.640	10/914 0.440
योग . .	<u>215.410</u>	11 0.260

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में दूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बंडा एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-क-12245-भू.-अर्जन-2013 प्र. क्र.-14-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—बंडा

24/912	0.180
25/1	0.710
25/2	0.200

(1)	(2)	(1)	(2)
26	0.670	58	0.320
27	0.500	59/1	1.160
28	0.620	59/2	0.800
29	1.050	59/3	0.180
30/1	0.260	59/4	0.180
30/2	0.260	60/1	0.140
31/1	0.420	60/2	0.140
31/2	0.100	60/3	0.140
32	0.900	60/4	0.150
33	0.750	61	1.150
34	0.010	62	0.670
36	0.110	64/1	0.070
37	0.060	64/2	0.060
39/1	0.030	65	0.200
39/2	0.040	66	0.230
40	0.440	67	0.260
46/1	0.220	69	0.040
46/2	0.400	71	0.050
46/3	0.400	72	0.080
46/4	0.550	73	0.040
46/5	0.070	74	0.150
47	0.500	75	0.020
48/1	0.260	76/1	0.040
48/2	0.140	76/2	0.020
50	1.070	77	0.050
51/1	1.060	78	0.030
51/2	0.200	79	0.070
51/3	0.200	80	0.150
51/4	0.200	81	0.170
51/5	0.470	82	0.110
52	0.270	83	0.090
53	0.300	84/1	0.020
54	0.320	84/2	0.010
55	0.300	84/3	0.020
56	0.320	84/4	0.020
57/1	0.480	85/1	0.040
57/2	0.070	85/2	0.030
57/3	0.080		

(1)	(2)	(1)	(2)
85/3	0.020	130/1	0.080
85/4	0.020	130/2	0.050
86/1	0.110	131	0.030
86/2	0.060	132/1	0.080
86/3	0.060	132/2	0.080
86/4	0.060	132/3	0.050
87	0.450	133	0.220
88/1	0.140	134	0.320
88/2	0.070	135	0.140
88/3	0.070	136/1	0.150
88/4	0.070	136/2	0.160
91/1	0.140	136/3	0.040
91/2	0.150	137/1	0.140
92	0.320	137/2	0.260
93	0.120	137/3	0.050
94	0.170	138	0.310
97	0.190	139	0.450
98	0.880	140/1	0.290
99	0.190	140/2	0.360
100	0.100	141/1	0.280
101	0.100	141/2	0.280
102/1	0.200	142	0.350
102/2	0.200	143	0.010
102/3	0.060	149	0.010
103	0.340	222/1	0.180
104	0.050	222/2	0.080
104/910	0.040	223/1	0.080
105	0.140	223/2	0.040
106	0.070	223/3	0.040
107	0.030	224	0.450
108	0.180	225	0.010
109	0.170	226	0.010
110	0.110	227	0.070
111/1	0.130	228	0.230
111/2	0.120	229	0.150
112	1.380	230	0.150
113	0.710	231/1	0.220
114	0.250	231/2	0.220
115	0.120	232	0.250
116	0.050	233	0.360
126	0.050	235	0.090
127	0.040	236	0.290
128	0.060	237	0.290
129/1	0.010	238	0.590
129/2	0.140	239	0.210

(1)	(2)	(1)	(2)
240	0.120	273	0.030
241	0.430	274	0.120
242	0.250	275	0.010
243	0.130	276	0.030
244	0.070	277	0.030
245	0.470	278	0.070
248	0.360	279	0.060
249	0.830	280	0.130
250	0.500	281	0.050
251	0.210	282	0.040
252	0.700	283	0.040
253	0.010	284	0.120
254/1	0.280	285	0.390
254/2	0.290	286	0.280
255/1	0.100	287	0.600
255/2	0.900	288	0.200
255/3	0.050	289	0.790
256/1	0.320	290	0.640
256/2	0.310	291	0.510
256/3	0.310	292	0.150
256/4	0.160	293	0.100
257/1	0.210	294	0.230
257/2	0.220	295/1	0.060
257/3	0.220	295/2	0.060
257/4	0.110	296	0.090
258/1	0.110	297	0.060
258/2	0.110	298	0.020
258/3	0.110	299	0.030
258/4	0.060	300	0.020
259	1.370	301	0.020
260	0.160	302	0.030
261	0.030	303/1	0.010
262	0.020	303/2	0.020
263	0.080	303/3	0.020
264	0.100	303/4	0.100
266/1	0.090	305	0.110
266/2	0.100	306/1	0.030
267	0.010	306/2	0.050
268	0.040	306/3	0.060
269/1	0.030	306/4	0.030
269/2	0.040	307	0.050
270	0.050	307/913	0.030
271	0.030	308	0.050
272/1	0.080	309	0.060
272/2	0.080	310	0.140

(1)	(2)	(1)	(2)
311	0.050	350	3.350
312	0.080	352	0.020
313	0.040	353	0.030
314	0.400	354	0.150
315	0.170	355	0.240
316	0.240	356	0.180
317	0.460	357/1	0.410
318/1	0.390	357/2	0.650
318/2	0.400	358	0.500
319	0.340	359	1.410
320	1.100	360	0.380
321	0.440	361/1	0.030
322	0.310	361/2	0.030
324	3.370	362/1	0.370
325	1.590	362/2	0.370
326	0.620	363	4.630
327/1	0.610	364	0.200
327/2	0.340	365	0.500
327/3	0.400	366	0.250
328	1.310	367	0.430
329	0.560	368	0.860
330	0.970	369	0.630
331/1	1.820	370	0.200
331/2	1.000	371	0.020
332	0.470	372	0.790
333/1	0.280	373	0.510
333/2	0.290	374	0.610
334	0.430	375	0.220
335	0.380	376	1.080
336	0.500	377	0.870
337	0.590	378	0.050
338/1	0.080	379	0.070
338/2	0.180	382/1	2.250
339	0.260	382/2	0.800
340	0.330	383	0.730
341	0.390	384	0.280
342	0.170	385	0.250
343/1	0.140	386	0.580
343/2	0.370	389	0.350
344	1.450	391	0.020
345	1.280	393	0.060
346	0.120	394	0.040
347	0.550	395	0.030
348	0.140	405	0.020
349	0.490	406	0.030
		413	0.030
		414	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
415	0.020	537/1	1.510
416	0.010	537/2	0.380
498	0.020	538	0.410
500	0.200	539/1	0.150
501	0.110	539/2	0.170
502	0.110	540	2.230
504	0.880	541	0.370
505	0.050	542	1.060
507	0.380	543	0.910
508	0.050	547	0.070
509	0.020	549	0.320
510	0.080	550	0.180
511/1	0.200	551	1.400
511/2	0.400	552	0.590
512	0.400	553	0.380
513	0.050	554	1.120
514/1	0.760	555	0.220
514/2	0.380	556	1.150
515/1	1.400	558/1	1.660
515/2	0.660	558/2	0.800
516	2.460	558/3	0.530
517/1	0.350	563	0.130
517/2	1.080	564	0.350
518/1	0.560	565	0.070
518/2	0.270	566	0.020
519	2.070	567	0.080
520	1.160	568	0.160
521	1.000	577	0.070
522/1	0.480	578	0.350
522/2	0.630	579	0.190
523	1.100	581	0.280
524	0.800	582	1.100
525/1	0.590	583	1.500
525/2	0.580	584	0.690
526	1.120	585	1.370
527	1.270	586/1	0.940
528	0.900	586/2	0.940
529	0.740	586/3	0.950
530/1	1.690	586/4	0.930
530/2	0.570	586/5	0.780
531	2.580	587	0.140
534	0.400	590	0.490
535	2.680	591	0.570
536	0.160	592	0.470
		595	0.110
		597	0.030

(1)	(2)	(1)	(2)
598	0.640	702/2	0.040
599	0.030	703/1	0.240
600	0.050	703/2	0.120
603	0.020	704	0.400
604	0.140	705	0.980
606	0.030	706/1	0.240
637	0.300	706/2	0.240
639	0.850	707	0.440
640	1.050	709	0.800
642	0.310	710	0.550
644/1	0.700	711	1.020
645/1	0.700	712	0.390
645/2	1.100	713	0.570
674	0.300	714	0.400
675	0.020	715	0.490
676	0.020	716	0.200
677	0.510	717	0.260
678	0.140	718	0.120
679	0.320	719	0.400
680	0.230	720	0.580
681	0.550	721	1.040
682	0.520	722	0.190
683	0.110	723	0.260
684	0.740	724	0.330
685/1	0.470	725	0.220
685/2	0.090	726	0.110
686	0.550	727	0.080
687	0.340	728/1	0.370
688	0.890	728/2	0.040
689	0.880	729	0.200
690	0.070	730	0.720
692	1.040	731	0.440
693/1	0.380	732	0.350
693/2	0.370	733	0.110
694	0.470	735	1.190
695	0.350	736	0.710
696/1	0.700	737	0.320
696/2	0.600	738	1.240
697	0.800	739	0.040
698	0.060	742	0.030
699	1.100	743	0.090
700/1	0.570	745	0.200
700/2	0.580	746	1.240
701	0.670	747/1	0.480
702/1	0.070	747/2	1.000

(1)	(2)	(1)	(2)
748	0.270	796	0.060
749	0.100	797	0.220
750	0.120	800	0.100
751	0.130	805	0.180
752	0.170	806	0.170
753	0.320	807	0.040
754	0.210	808	0.060
755	0.180	809	1.300
756	0.200	810	0.130
757	0.240	811	0.060
758	0.910	813	0.310
759	0.970	814	0.650
760	0.650	815	0.090
761	0.750	817	0.090
762/1	0.400	818	0.060
762/2	0.800	819	0.070
763	1.380	820	0.090
764	0.130	821	0.120
765	0.080	822	0.070
766	0.410	823	0.090
767	0.300	824	0.130
768	0.070	825	0.530
769	0.380	826/1	0.370
770	0.070	826/2	0.600
771	0.850	827	0.850
772	0.700	828/1	0.070
773	0.200	828/2	0.400
774	0.360	829	0.190
775/1	0.770	830	0.190
775/2	0.400	831	0.070
776	0.700	832/1	0.840
777/1	0.380	832/2	0.720
777/2	0.800	833	0.310
778	0.550	835/1	0.260
779	0.780	835/2	0.400
785	0.470	836	0.350
786	0.140	837/1	0.220
790/1	0.410	837/2	0.230
790/2	0.400	838	0.340
791	0.390	839	0.500
792/1	0.130	840	0.610

(1)	(2)	(1)	(2)
841	0.180	899/3	0.380
842	0.130	900	0.300
843	0.500	903	0.100
844/1	0.260	905	0.100
844/2	0.300	योग . .	<u>268.419</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में दूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

सागर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्र.-क-12246-भू-अर्जन-2013 प्र. क्र.-15-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1)	भूमि का विवरण—	खसरा	अर्जित रकमा
		नंबर	(हेक्टर में)
862	0.010	(1)	(2)
863	0.150	291	0.190
864/1	0.120	294	0.590
864/2	0.470	304	0.030
888	0.850	307	0.580
890	0.110	309/1	1.570
891/1	0.370	309/2	1.400
891/2	0.400	309/3	0.770
891/3	0.360	309/4	0.420
892	0.190	310	1.160
893	0.180	311	5.610
895	0.010		
896	0.230		
897	0.100		
898/1	0.450		
898/2	0.130		
899/1	1.030		
899/2	0.820		

(1)	(2)	(1)	(2)
313	0.100	392	0.040
314	0.320	395	0.150
315	0.310	396	0.830
316	0.110	397	0.700
317	0.390	398	0.060
318	0.650	399	1.260
319	0.500	405	0.210
320	0.510	406	0.040
321	0.740	407	0.010
324	0.330	408	0.110
328	0.420	411	0.090
329	0.410	412	0.150
330/1	0.260	413	0.100
330/2	0.130	414	0.300
331	0.140	419	0.130
332	0.290	439	0.160
333	0.040	440	0.210
334	0.200	443	0.250
335	0.470	444	0.340
336	0.400	445	1.180
357	0.250	446/1	0.020
358	0.290	446/2	0.030
367	0.410	455	0.420
368/1	0.210	457/653	0.020
368/2	0.400	457/654	0.020
369	0.470	458/1	0.040
370	3.440	458/2	0.040
372	0.020	482/1	0.020
373	0.120	487	0.060
374	0.720	489	0.170
375	0.870	490	0.250
376	0.420	491	0.040
377	0.470	515	0.200
378	2.250	516	0.040
379	1.560	518/1	0.010
381	0.260	518/2	0.020
382	0.830		
384	1.640		
385	0.330		
386	0.600		
387	0.600	योग . .	44.560
388	0.490		
389	0.350		
390	0.970		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है— पंचमनगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, मुख्यालय दमोह (म.प्र.).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	(1)	(2)	
क्र.-क-12247-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र. 16-अ-82-12-	54/2	1.920	
13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—	54/3	1.920	
	54/4	1.900	
	55	8.060	
	56	0.690	
	57	1.260	
	59	0.260	
	60/1	3.120	
	60/2	1.280	
	60/3	1.280	
	60/4	1.320	
	60/5	1.800	
(क) जिला—सागर	60/6	1.800	
(ख) तहसील—बंडा	60/7	1.800	
(ग) ग्राम—खजरी	60/8	1.800	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—70.15 हेक्टेयर.	61	0.300	
	63	0.400	
खसरा	अर्जित रकमा		
नंबर	(हेक्टर में)		
(1)	(2)		
17	0.020	64	0.180
18	0.150	65	0.030
19	0.070	66	0.100
20	0.040	67/1	1.050
21	0.230	67/2	1.050
22	0.120	68	0.340
23	0.040	69/1	1.610
24	0.710	69/2	0.800
25	0.080	70	0.630
26	1.030	71	0.110
27	0.960	72	0.320
28	1.440	73	2.160
29	0.100	74	0.360
30	0.030	75	0.370
31/1	0.140	76	3.680
31/2	0.130	77	0.560
32	0.090	78	0.460
33	0.010	79	0.210
48	0.030	80	0.140
49	0.080	81	0.110
54/1	3.580	83	1.650
		84	1.820

(1)	(2)	(ग) ग्राम—ओडाहो (घ) लगभग क्षेत्रफल—172.91 हेक्टेयर.
85	0.880	
86	0.120	खसरा
87	0.180	नंबर
88/1	1.040	(1)
88/2	0.040	1/1
94	0.830	1/2
96	0.360	2/1
100	0.010	2/2
101	0.850	3
102	0.490	4/1
103	1.420	4/2
104	1.800	6/1
107	0.280	6/2
108/1	0.690	7/1
108/2	0.690	7/2
109	0.960	10/1
110	1.090	10/2
113	0.690	11/1
योग . .		11/2
	<u>70.15</u>	16
		17/2
		1.000

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है

क्र.-क-12248-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 17-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बंडा

24	0.460
25/1	1.200
25/2	0.790
26	0.620
26/578/1	0.150
26/578/2	0.140
26/578/3	0.140
27/1	0.610
27/2	0.610
28/1	0.090
28/2	0.100
29/1	0.400

(1)	(2)	(1)	(2)
29/2	0.960	104/1	0.220
30	0.360	104/2	0.450
31/1	0.940	105/1	0.300
31/2	0.950	105/2	0.300
32/1	0.320	106	0.460
32/2	0.080	107/1	0.190
38	0.160	107/2	0.200
39	0.130	108	1.040
40	1.400	110	2.030
42	0.200	112	1.200
44	0.110	116	1.350
47	1.710	117	0.500
49	0.630	120/1	0.070
50/1	0.150	120/2	0.070
50/2	0.140	122/1	0.150
52/1	0.340	122/2	0.210
52/2	2.160	123/1	0.220
52/3	0.340	123/2	0.210
53	0.250	123/3	0.190
57	0.070	124/1	0.060
61	0.060	124/2	0.070
62	0.620	125/1	0.110
63/1	0.250	125/2	0.100
63/2	0.400	126	0.120
68	0.500	127	0.130
70	0.170	128	0.070
71/1	0.180	129/2	0.400
71/2	0.180	129/3	0.360
73	0.350	131	0.200
84	0.550	133/1	0.210
85	0.250	168/1	0.020
86/1	2.470	168/2	0.020
86/2	0.980	172	0.170
86/3	1.100	173	0.120
98	0.090	174	0.020
99/1	0.540	175/1	0.010
99/2	0.910	175/2	0.030
100/1	0.600	177	0.050
100/2	0.400	178	0.020
100/3	0.220	193/1	0.020
100/4	0.230	193/2	0.060
100/5	0.220	193/3	0.050
100/6	0.400	234	0.190
102/1	0.040	237	1.310
102/2	0.040		

(1)	(2)	(1)	(2)
238/1	0.310	337	0.020
238/2	0.320	345	0.030
239/1	0.080	346	0.050
240	0.840	347	0.030
241	0.620	350	0.020
262/1	0.010	352	0.020
262/2	0.010	353	0.130
264	0.030	355/1	0.010
265	0.120	355/2	0.010
267	0.250	357	0.050
268	0.100	358/1	0.020
269	0.160	358/2	0.020
270	0.380	359/1	0.060
271	0.120	359/2	0.060
272	0.100	360	0.020
273	0.470	361	0.070
274	0.100	362	0.010
275	0.040	363	0.060
276	0.040	364/1	0.110
277	0.060	364/2	0.050
278	0.040	364/3	0.060
279	0.100	365/1	0.020
280	0.070	365/2	0.020
281	0.190	367	0.040
282	0.080	368/1	0.020
283	0.070	368/2	0.030
284	0.330	369/1	0.050
285	0.700	369/2	0.050
286	0.180	370	0.050
289	0.030	371	0.040
313	0.050	372	0.040
314	0.030	373	0.080
317	0.010	375/1	0.070
318	0.040	375/2	0.030
319	0.040	375/3	0.040
320	0.030	376	0.180
321	0.080	377/1	0.030
322	0.040	377/2	0.030
325	0.130	379	0.050
326	0.040	380	0.100
327	0.020	382/1	0.010
329	0.040	382/2	0.010
330	0.040	383/1	0.080
331	0.040	383/2	0.080
332	0.100	384/1	0.030

(1)	(2)	(1)	(2)
384/2	0.030	435	0.040
385/1	0.010	436	0.030
385/2	0.010	437	0.290
386/1	0.020	438	0.050
386/2	0.020	439	0.250
387	0.010	440	0.090
388	0.050	442	0.050
389	0.060	445	0.640
390	0.040	447/1	0.060
391	0.020	447/2	0.060
392	0.030	448/1	0.020
393	0.030	448/2	0.050
394	0.040	449/1	0.080
395/1	0.050	449/2	0.080
395/2	0.040	450/1	0.040
397/1	0.060	450/2	0.140
397/2	0.060	451/1	1.220
398	0.260	451/2	1.220
406	0.460	453	0.200
407/1	0.520	454	0.260
407/2	0.520	457	0.530
409	2.290	460	0.190
410	0.090	461	0.370
411	0.040	462/1	1.290
415	0.100	462/2	2.000
416/1	0.110	462/3	0.400
416/2	0.120	463/1	0.950
417	0.100	463/2	0.950
418	0.050	464/1	0.180
419	0.040	464/2	0.540
420	0.030	465/1	0.120
422	0.200	465/2	0.120
423	0.110	466	1.180
424	0.090	468/1	0.420
425	0.070	468/2	1.220
426	0.070	469	0.660
427	0.050	470	0.480
428	0.050	471	0.350
429	0.040	472	0.300
430	0.040	475	0.300
431	0.060	477/1	0.160
432	0.020	477/2	0.160
433	0.030	478/1	0.220
434	0.090	478/2	0.220

(1)	(2)	(1)	(2)
479	1.790	521/1	0.340
480/1	0.670	521/2	0.340
480/2	0.680	522/1	0.330
481	0.500	522/2	0.330
484/1	0.120	523/1	0.530
484/2	0.110	523/2	0.530
488	0.340	524	0.370
489	0.650	525	2.010
490/1	0.560	526	0.680
490/2	0.570	527	0.330
491/1	1.150	528/1	0.040
492/1	0.400	528/2	0.020
492/2	1.650	528/3	0.020
493	0.920	529/1	0.700
494/1	0.260	529/2	0.700
494/2	0.260	532/1	0.950
494/3	0.820	532/2	0.150
496	1.150	532/3	0.800
497/1	0.370	534/1	0.590
497/2	0.300	534/2	0.740
497/3	0.430	535/1	1.910
499/1	0.050	535/2	0.200
499/2	0.070	536/1	0.090
499/3	0.170	536/2	0.090
499/4	0.130	537/1	0.680
499/5	0.140	537/2	0.890
500	0.140	537/3	0.380
504/1	0.750	538	0.200
504/2	0.750	539	0.210
505	1.130	540	0.340
506	1.040	543	0.990
508	0.010	544	1.850
509	1.510	545/1	1.160
510	0.920	545/2	0.390
511	1.040	546	0.150
512	0.890	547	0.450
513	0.800	548	0.470
514	0.820	549/1	0.660
515/1	0.620	549/2	0.400
515/2	0.610	550	0.980
516	0.770	551	0.870
518	2.560	552/1	2.520
519/1	0.350	552/2	0.490
519/2	0.360	553	0.580
520	1.370		

(1)	(2)	की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—	
554	1.600		अनुसूची
555	1.060	(1) भूमि का वर्णन—	
556	0.450	(क) जिला—सागर	
557/1	1.260	(ख) तहसील—शाहगढ़	
557/2	1.270	(ग) ग्राम—सांदागिर	
558/1	0.510	(घ) लगभग क्षेत्रफल—55.610 हेक्टेयर.	
558/2	1.320		
558/3	1.310	खसरा	अर्जित रकमा
558/4	0.800	नंबर	(हेक्टर में)
558/5	0.440	(1)	(2)
559/1	0.430	153	0.180
559/2	0.430	154	0.400
560/1	0.010	155	0.010
560/2	0.010	156	0.090
563/1	0.700	161	0.030
563/2	1.600	162	0.030
564	1.030	186	0.100
565	1.440	189	0.060
567	0.650	190	0.140
570	0.740	191	0.120
571	1.260	193	0.040
572	1.310	197	0.070
573/1	1.020	198	0.790
573/2	1.210	199	0.030
574	2.490	273	0.100
575	0.580		
योग . .	<u>172.910</u>	274	0.120
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है— पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में ढूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.		275	0.310
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है		276	0.200
क्र.-क-12249-भू.-अर्जन-2013-प्र.क. 18-अ-82-12- 13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)		277	1.440
		283	0.020
		286	0.020
		289	0.410
		290	0.280
		291	0.030
		293	0.070
		294	0.030
		296	1.220
		297	0.450
		298/1	1.110

(1)	(2)	(1)	(2)
298/2	1.120	460/12	0.120
299	1.400	460/13	0.300
301	0.100	462	0.480
302	0.060	463/1	0.150
303	0.090	463/2	0.150
304	0.060	463/3	0.150
305	1.280	469	0.300
307	0.470	470	0.190
309	1.390	471	0.190
310	1.040	480	1.340
311	0.310	481	0.650
312	0.330	482	0.610
313	1.220	483/1	1.440
314	0.660	483/2	0.400
315	0.680	484	1.710
316	0.590	486	0.180
317	0.440	487	0.180
318	0.700	489	0.200
319	0.520	490	0.390
320	1.710	491	0.690
321	0.050	492	1.320
323	0.400	493	0.220
324	0.070	494	0.260
325	0.520	495	0.820
326	0.440	496	0.130
327	0.780	497	0.100
328	0.180	498	0.130
329	1.350	499	0.180
332	1.470	500	0.050
333	0.430	501	0.820
334	0.600	502	0.150
335	0.660	503	0.130
187	0.190	504	0.090
337	0.030	505	0.210
460/2	0.050	506	0.200
460/3	0.050	507	0.150
460/4	0.050	508	0.090
460/5	0.050	510	0.670
460/6	0.050	511	0.400
460/7	0.030	512	1.690
460/8	0.110	513/1	0.490
460/9	0.070	513/2	0.500
460/10	0.050	514	0.250
460/11	0.150	515	0.260

(1)	(2)	(ग) ग्राम—भीकमपुर रैयतवारी (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.16 हेक्टेयर.
		खसरा अर्जित रकमा नंबर (हेक्टर में)
516	0.370	
517	0.280	
518	0.510	
519	0.450	
520	0.290	33/2 0.050
521	0.260	65 0.290
522	0.260	67 0.050
523	0.280	91/1 0.100
524	0.090	91/2 0.100
525	0.090	96 0.500
527	0.110	104 0.070
528	0.200	
529	0.010	
530	0.660	
531	0.330	
532	0.250	
533	0.990	
534	0.210	
535	0.240	
536	0.700	
योग . .	55.61	योग . . 1.16

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है— पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है

क्र.-क-12250-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र. 19-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—शाहगढ़

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है— पंचमनगर मध्यम परियोजना के अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है

क्र.-क-12251-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र. 20-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—शाहगढ़
- (ग) ग्राम—भीकमपुर आबाद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—33.960 हेक्टेयर.

खसरा अर्जित रकमा नंबर (हेक्टर में)	(1) (2)
48 0.240	
49 0.560	

(1)	(2)	(1)	(2)
50	1.470	109	0.110
51	1.700	110	0.050
64	0.870	111	0.040
65	0.520	112	0.020
66	0.770	113/1	0.050
67	0.310	113/2	0.170
70/1	0.260	114	0.020
70/2	0.260	115	0.010
71/1	0.620	123/1	1.600
71/2	0.710	123/2	0.060
71/3	0.590	124	0.220
71/4	0.200	125	0.320
72	1.660	127	0.600
73/1	2.530	128	0.080
73/2	0.800	129	0.090
74	0.540	130	0.060
75	2.200	132	0.050
76	1.160	134	0.060
77	2.190	136	0.380
78	1.370	योग . .	<u>33.960</u>
79	1.080		
80	0.240		
81	0.240		
83	0.210		
84/1	1.040		
84/2	0.110		
85	0.010		
86	0.070		
87	0.070		
88	0.470		
89	0.510		
90	0.200		
92	0.410		
93	0.230		
94	0.550		
95	1.100		
96	0.330		
97	1.190		
98	0.120		
99	0.020		
100	0.050		
101	0.030		
103	0.120		
106	0.040		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है— पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में इूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है

क्र.-क-12252-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र. 21-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—शाहगढ़

- (ग) ग्राम—भीकमपुर मुस्तजारी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—17.72 हेक्टेयर.

- (ग) ग्राम—चकेरी शाहगढ़
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—229.410 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)	खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
2	0.580	1/1	0.110
3	0.220	1/2	0.110
4	4.130	1/3	0.120
5	0.630	2/1	0.040
6	0.610	2/2	0.040
7/1	0.510	2/3	0.040
7/2	2.050	3/1	0.270
7/3	0.670	3/2	0.270
7/4	0.670	3/3	0.280
7/5	0.660	4/1	0.200
7/6	0.510	4/2	0.210
7/7	0.510	4/3	0.200
7/8	0.510	5	0.560
8	0.210	6	0.620
9	0.310	7/1	2.160
10	0.040	7/2	2.170
11	0.640	8/1	0.740
13	2.010	8/2	0.740
18	2.250	8/3	0.750
योग . .		9	2.840
	17.72	10	1.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
 पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण
 में इब्र क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
 एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री,
 पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय
 में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है

क्र.-क-12253-भू.-अर्जन-2013-प्र.क्र. 22-अ-82-12-
 13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि
 नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के
 पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता
 है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)
 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि
 उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
 (ख) तहसील—शाहगढ़

19	0.930
20	0.610
21	0.320
22	1.100
23	0.520
24	1.030
25	0.680
26	0.400
27/1	0.490
27/2	0.100
28	0.600
29	0.790
30	0.780

(1)	(2)	(1)	(2)
31	0.600	76	0.030
32	0.610	77	2.250
33/1	0.220	78	1.190
33/2	0.220	79	1.050
33/3	0.230	80	0.940
34	0.780	81	0.650
35	1.220	82	1.070
36/1	0.420	83	0.580
36/2	0.420	84	3.430
36/3	0.420	85	1.310
37/1	0.330	86	0.160
37/2	0.320	88	0.580
38/1	0.670	89	0.020
38/2	0.680	90	0.050
39	0.150	91	0.050
40	0.120	92	0.010
41	0.180	93	0.010
42	0.180	96	0.060
43	0.840	97	0.120
44	0.290	98	0.200
50	0.140	99	0.140
51	0.020	100/1	1.220
52	0.370	100/2	0.160
53	0.880	101/1	0.290
54	0.090	101/2	0.290
55	0.970	103	1.750
56	0.230	104	0.560
57	0.260	105	0.500
58	1.440	106	0.640
59	0.880	107	0.240
60	0.140	108	0.490
61	1.170	109	1.460
62	0.520	110	0.750
63	0.560	111	1.550
64/1	0.790	112	1.850
64/2	0.790	115	1.320
65	1.540	116	0.350
67	0.120	117	0.280
68	0.020	118	0.580
69	0.080	119	0.150
70	0.080	121	0.170
71	0.050	123	0.530
72	0.050	124	1.890
73	0.040	127	0.990
74	0.030	129	3.210
75	0.010	130	0.310

(1)	(2)	(1)	(2)
131/1	0.810	176	0.660
131/2	0.820	177	0.230
132	2.300	178	0.890
134	0.130	179	1.300
135	0.060	180	0.280
136/1	0.090	181	0.280
136/2	0.080	182	0.650
137	0.150	183	0.930
138	0.010	184	0.720
139/1	0.030	185	0.640
139/2	0.030	186	0.250
140/1	0.010	188/1	0.100
140/2	0.010	188/2	0.110
141	0.020	189	0.840
142	0.020	190	0.560
144	0.020	191	0.250
145	0.020	194	2.060
147	0.020	195	0.310
148/1	0.010	197	1.740
148/2	0.010	199	4.560
149	0.050	200	4.250
150	0.040	201	0.100
151	0.040	208	0.020
152	0.050	209	0.020
153	0.060	210	0.030
154	0.030	211	0.030
155	0.020	212	0.080
158	0.060	213/1	0.060
160	0.030	213/2	0.020
161/1	0.130	213/3	0.020
161/2	0.120	214	0.060
162/1	0.030	215	0.020
162/2	0.030	216	0.130
162/3	0.030	217	0.020
163	0.060	218	0.220
164	0.120	221	0.080
165	0.130	222/1	0.010
166	0.100	222/2	0.010
168	0.440	223	0.060
169	0.250	224/1	0.080
170	0.200	224/2	0.030
171	0.130	224/3	0.030
172	0.660	224/4	0.020
173	0.650	225	0.050
174	0.510	226	0.020
175	1.410	227/1	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
227/2	0.020	260/3	0.090
227/3	0.020	261/1	0.690
228/1	0.040	261/2	0.700
228/2	0.040	261/3	0.690
228/3	0.020	262/1	0.080
229	0.060	262/2	0.080
230	0.100	262/3	0.080
231	1.640	263/1	0.060
232/1	0.270	263/2	0.060
232/2	0.800	263/3	0.060
233	1.270	264	0.670
235	0.590	265	0.160
236	0.600	266	0.670
237	1.040	267	1.540
238	2.240	268	0.900
239	0.380	269	1.650
240	2.900	271	0.410
241	3.100	273	1.370
242	0.310	275	0.500
243	2.260	276	1.050
244/1	0.540	277/1	0.790
244/2	0.550	277/2	0.530
244/3	0.540	278/1	1.200
245	0.070	278/2	0.600
246	0.370	279	0.330
247	0.820	284	1.580
248	0.200	285	0.400
249	0.680	286	0.620
250	1.320	288	0.110
251	0.310	292	0.620
252	0.270	294	0.120
253	0.980	295	0.170
254	1.130	296	0.380
255/1	0.180	297	0.110
255/2	0.180	298	1.140
255/3	0.190	299/1	0.070
256	0.760	299/2	0.270
257/1	0.130	300	1.200
257/2	0.130	301	0.220
257/3	0.130	302	0.220
258/1	0.210	303	0.480
258/2	0.210	304	0.300
258/3	0.210	305	0.290
259/1	0.350	306	0.460
259/2	0.350	307	0.300
259/3	0.340	308	1.110
260/1	0.100	309	0.730
260/2	0.090	310	0.460

(1)	(2)	(1)	(2)
311	0.380	360	0.390
313/1	0.020	361	0.060
313/2	0.020	362	0.060
313/3	0.020	363	0.370
314/1	0.300	364	1.350
314/2	0.100	365	1.040
314/3	0.100	366	0.700
314/4	0.100	367	0.390
315/1	0.140	369	0.470
315/2	0.340	370	0.550
315/3	0.340	371	0.090
317	0.550	375	0.670
318/1	0.420	376	0.110
318/2	0.410	377	0.590
319/1	0.400	378	1.000
319/2	0.420	379	0.350
321	0.560	380	0.200
322	0.780	381	0.250
323	0.930	383	1.080
324	1.160	384	0.200
325	0.910	385	0.160
326	0.160	386	0.150
327	1.110	387	0.150
337	0.440	388	1.560
338	1.130	390	0.800
339	3.380	391	0.200
340	0.770	392	0.180
341	0.490	393	0.570
342	0.690	394	0.070
343	1.000	395	0.550
344	0.450	396	0.280
345	0.240	397	0.080
346	0.900	398	0.100
347	1.120	399	0.040
348	1.110	400	0.050
349	1.110	401	0.080
350	1.110	402/1	0.090
351	0.120	402/2	0.100
352	1.030	403	0.060
353	1.100	404	0.500
354	0.320	405	0.740
355/1	0.800	409	0.070
355/2	0.180	410	0.080
356	1.020	411	0.100
357	0.350	413	0.040
358	0.080	414	0.060
359	0.360	416	0.060

(1)	(2)	(1)	(2)
418	0.060	464	0.180
421/1	0.400	465	0.470
421/2	0.400	466	0.040
422	0.030	467	0.040
423	0.040	468	0.160
424	0.050	469	0.140
425	0.150	470	0.060
426	0.360	471	0.060
427	0.580	472	0.060
428	0.520	473	0.100
429	0.340	476	0.040
430	0.260	479	0.120
431	0.100	481	0.010
432	0.040	482	0.040
433	0.050	484	0.050
434	0.030	485	0.050
435	0.040	486	0.160
436	0.040	489	0.120
437	0.060	490	0.120
438	0.200	491	0.060
439	0.100	492	0.130
440	0.530	493	0.210
442	0.320	496	0.060
443	0.280	497	0.030
444	0.310	498	0.030
445	0.160	499	0.090
446	0.060	500/1	0.490
449	0.140	500/2	0.500
450	0.140	501	0.320
451	0.110	502	0.080
452	0.070	503	0.020
453	0.970	505	0.070
454	0.750	507	0.260
455/1	0.070	योग . .	229.410
455/2	0.020		
457	0.020		
458	0.090		
459	0.180		
460	0.300		
461/1	0.140		
461/2	0.140		
461/3	0.150		
461/4	0.160		
461/5	0.140		
462/1	0.350		
462/2	0.360		
463	0.100		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है— पंचमनगर मध्यम परियोजना अंतर्गत पगरा बांध के निर्माण में ढूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बंडा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा मुख्यालय, दमोह के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव,